उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 013

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	35
दिनाँक	:	20 नवम्बर, 2014
समय	:	अपराह्नः 3:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 20 नवम्बर, 2014 को अपरान्ह् 3.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 35वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. के.के. भूटानी, निदेशक, UPTECH, तीसरा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (निवास–20/05, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद)	सदस्य
3.	प्रो. बी.एन. सिंह, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

9. डॉ. आर.पी.एस. यादव, सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

10. डॉ. जी.के. द्विवेदी, सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

11. डॉ. दिनेश सिंह, सदस्य
सहायक निदेशक/असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

12. डॉ. ए.के. सिंह सदस्य–सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

01. डॉ. वाई.वी.एन. कृष्ण मिर्थी,
निदेशक, भारतीय रिमोट सेन्सिंग संस्थान,
4, कालीदास रोड, देहरादून–248001

02. प्रो. ए.पी. वार्ष्णेय,
कुलपति, पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान,
मथुरा, उत्तर प्रदेश

03. श्री जी.एन. साहा,
Ex. Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata,
23, टीचर्स हाउसिंग इस्टेट बाघाजतीन पार्क, पो.आ.– पंचशायर, कोलकाता -7000943.

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 35.01

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 28 अगस्त, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 28 अगस्त, 2014 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या** 21–59 ------- पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 28 अगस्त, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 35.02

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 28 अगस्त, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 28 अगस्त, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
34.01	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 02–05–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
34.02	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 02–05–2013 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
34.03	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 07–02–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
34.04	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 07–02–2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
34.05	विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनाँक 03 मई, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

34.06	विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनाँक 03 मई, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
34.07	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए./बी.एससी. के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के परिमार्जन, अग्रेतर संचालन एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को दिये जाने वाले उपाधि के प्रारूप पर गठित समिति की दिनाँक 08 अक्टूबर, 2013 के बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार क्रियान्वयन हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए./बी.एससी. के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के परिमार्जन, अग्रेतर संचालन एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को दिये जाने वाले उपाधि के प्रारूप पर गठित समिति की दिनाँक 08 अक्टूबर, 2013 के बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 01 एवं 02 के अनुसार क्रियान्वयन हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होते हुए शेष अन्य बिन्दुओं पर कार्यवृत्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
34.08	सत्र जुलाई 2013–14 से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.एल.आई.एस.) कार्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम (Sylabus) के परिप्रेक्ष्य में निर्मित स्व अध्ययन सामग्री के अनुसार प्रारम्भ किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	विद्या परिषद् सत्र जुलाई 2013–14 से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.एल.आई.एस.) कार्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम (Sylabus) के परिप्रेक्ष्य में निर्मित स्व अध्ययन सामग्री के अनुसार प्रारम्भ किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई एवं Computer Science/Information Technology से सम्बन्धित अद्यतन आधुनिक तकनीकी यथा Cloud एवं Drop Box आदि तकनीकी को भी पाठ्य सामग्री में समावेशित किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
34.09	द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों में सत्र	विद्या परिषद् द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों में सत्र 2014–15	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक

	2014–15 से प्रवेश न लिये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	से प्रवेश न लिये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई एवं विश्वविद्यालय स्तर से अध्यादेश जल्द तैयार कराकर माननीय कुलाधिपति जी के संज्ञान में लाते हुए आगामी सत्र से इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया।	में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार अध्यादेश तैयार कर लिया गया है। दिनाँक 20–11–2014 को विद्या परिषद् की बैठक में कार्यसूची बिन्दु संख्या 35.03 के द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे विद्या परिषद् ने स्वीकार कर लिया।
34.10	शैक्षिक सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के मान्यता की निरन्तरता (Continuation) से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, डेक भवन, इग्नू परिसर, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068 के पत्र संख्या F.No.UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09/7022-7026 दिनाँक 28 मई, 2014 से अवगत होना।	विद्या परिषद् शैक्षिक सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के मान्यता की निरन्तरता (Continuation) से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, डेक भवन, इग्नू परिसर, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068 के पत्र संख्या F.No.UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09/7022-7026 दिनाँक 28 मई, 2014 से अवगत हुई तथा यह भी निर्णय लिया कि सम्बन्धित कार्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से स्थायी मान्यता प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
34.11	विश्वविद्यालय में सत्र 2014–15 से ओ.एम.आर. फार्म के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में सत्र 2014–15 से ओ.एम.आर. फार्म के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार प्रवेश अनुभाग द्वारा कार्यवाही की जा

			चुकी है।
34.12	सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय में कश्मीरी प्रवासियों को प्रवेश में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 3–1/2012–NER दिनाँक 04–06–2014 पर विचार।	विद्या परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनाँक 04–06–2014 को अंगीकृत करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार प्रवेश अनुभाग को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।
34.13	विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा Ph.D. शोध प्रबन्ध की प्रस्तुति के पूर्व आयोजित किये जाने वाले प्री–सबमिशन मौखिकी परीक्षा की व्यवस्था में सुधार किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने निम्न निर्णय लिया :– (i) प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा के उपरान्त शोधार्थी अपना शोध प्रबन्ध न्यूनतम एक माह एवं अधिकतम 06 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करें। (ii) प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा के समय शोध पर्यवेक्षक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाय, परन्तु अपरिहार्य कारणों से शोध पर्यवेक्षक के उपस्थित न हो पाने पर माननीय कुलपति जी की अनुमति से ही प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा/प्रस्तुतीकरण सम्पन्न करायी जाय। (iii) शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के नाम के साथ, दूरभाष संख्या, ई–मेल पता व पत्राचार का पूर्ण पता प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा की तिथि तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार शोध अनुभाग को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

		लिये जाय। (iv) परीक्षकों की मूल्यांकन हेतु प्रेषित शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन प्रतिवेदन शोध प्रबन्ध के प्रेषण की तिथि से 06 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिये जाय अन्यथा की स्थिति में माननीय कुलपति जी के आदेश से अन्य अग्रतर कार्यवाही की जाय।	
34.14	भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी0ओ0 न. 10–102/ओ.यू./2007/ आई0सी0आई0 1156 दिनांक 16 अगस्त 2013 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में Foundation Course on Education of Children with Disability (FCED) एवं Foundation Course on Education of Children with Learning Disability (FCELD) कार्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	विद्या परिषद् ने भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी0ओ0 न. 10–102/ओ.यू./2007/आई0सी0आई0 1156 दिनांक 16 अगस्त 2013 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्या शाखा द्वारा Foundation Course on Education of Children with Disability (FCED) एवं Foundation Course on Education of Children with Learning Disability (FCELD) कार्यक्रम संचालित किये जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अन्य प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए इन कार्यक्रमों में प्रवेश जुलाई एवं जनवरी सत्रों में कराये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार, शिक्षा विद्या शाखा को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
34.15	विश्वविद्यालय में ''गाँधी विचार एवं अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा'' Post Graduate Diploma in Gandhi Thoughts and Studies (PGDGTS) कार्यक्रम संचालित किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने ''गाँधी विचार एवं अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा'' Post Graduate Diploma in Gandhi Thoughts and Studies (PGDGTS) कार्यक्रम संचालित किये जाने के प्रस्ताव को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार समाज विज्ञान विद्या शाखा को सूचित किया जा चुका है।

34.16	दिनाँक 26 नवम्बर, 2013 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
(i)	परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मानकों पर विचार।	विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को निम्न संशोधन के साथ स्वीकार किया :– (i) बिन्दु संख्या 05 में वर्णित 01 से 04 के स्थान पर 01 से 06 को ध्यान में रखते हुए समिति अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी। (ii) बिन्दु संख्या 05 एवं 07 के क्रमाकों को आपस में परिवर्तित किये जायें।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(ii)	प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 150/– से बढाकर 300/– कर दिया जाय एवं प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रोफार्मा में संशोधन करा दिया जाय व शुल्क ड्राफ्ट/नकद जमा करने का भी उल्लेख कर दिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।
(iii)	प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात शिक्षार्थी द्वारा अंक पत्र में किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु आवेदन शुल्क निर्धारण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात अंक पत्र पर किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु रू 500/– शुल्क जमा कराने के पश्चात संशोधन किया जाय बशर्ते विश्वविद्यालय की इसमें कोई गलती न हो। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा

			रही है।
(iv)	अंक पत्र/उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत कराने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अंक पत्र/उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत कराने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 100/– से बढ़ाकर रू 200/– लिया जाय एवं उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत करने से पूर्व छात्र से हलफनामा जमा करा लिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।
(v)	पूर्व निर्धारित संवीक्षा शुल्क में वृद्धि पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संवीक्षा हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 100/– से बढाकर रू 200/– कर दिया जाए। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।
(vi)	UFM सम्बन्धी निर्णय के मानकों पर पुनः विचार।	विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार कार्यवाही

			की जा रही है।
(vii)	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार।	परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि प्रत्येक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के लिये शुल्क रू 800/– किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।
(viii)	परीक्षा समिति की 15 वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त 2013 के बिन्दु संख्या 15.05 से 15.07 तथा 15.08 के बिन्दु (ii) व (iv) में लिये गये निर्णयानुसार स्थगित परीक्षा केन्द्रों के प्रकरण पर पुनः विचार	परीक्षा समिति निम्नलिखित संस्तुतियाँ की : 1. उड़ाका दल की आख्या के आधार पर ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनको अगले एक परीक्षा सत्र तक परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से वंचित रखा गया था उनसे यदि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त हो गये है तो ऐसे केन्द्रों को चेतावनी पत्र देते हुये दोष मुक्त किया जा सकता है। शेष तीन परीक्षा केन्द्रों की दण्डात्मक कार्यवाही यथावत रखी जायेगी। 2. ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनके ऊपर उत्तर पुस्तिका विलम्ब से भेजने पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की कार्यवाही की गयी थी उनसे यदि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त हो गये है तो इन केन्द्रों को चेतावनी पत्र देते हुये दोष मुक्त किया जा सकता है।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

		3. ऐसे केन्द्र जिन्हे अन्य कारण से अगले दो वर्ष तक/भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लेते हुये संस्तुति की गई थी ऐसे परीक्षा केन्द्रों की दण्डात्मक कार्यवाही यथावत रखी जायेगी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
(ix)	विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षाओं में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था पर विचार	परीक्षा समिति ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ की जिसका विवरण निम्नवत है: 1. अब तक उपलब्ध स्टेपल की हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाय उसके पश्चात सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का ही प्रयोग किया जाय। 2. सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करने के परीक्षा सत्र से "ब" उत्तर पुस्तिका का प्रयोग बन्द कर दिया जाय एवं इसका उल्लेख प्रवेश विवरणिका में भी किया जाय कि परीक्षा में केवल "अ" उत्तर पुस्तिकायें दी जायेगी कोई अनुपूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। 3. "अ" उत्तर पुस्तिका में ही कुल 4 अतिरिक्त पृष्ठ जोड दिये जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(x)	एक परीक्षक द्वारा सामान्य स्थिति में प्रतिदिन मुल्याकंन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या के निर्धारण पर विचार।	विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मूल्यांकन करने हेतु प्रतिदिन अधिकतम 50 पी. जी. कार्यक्रम या अधिकतम 75 यू. जी. कार्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन करने हेतु इस शर्त पर दी जाय कि परीक्षक कम से कम छः घण्टे रुक कर मुल्यांकन करे। परीक्षा समिति द्वारा एक मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम एक परीक्षा सत्र में यू. जी. कार्यक्रम की अधिकतम 500 व पी. जी. कार्यक्रम की अधिकतम 400 उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन हेतु देने की संस्तुति की गयी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(xi)	चरित्र प्रमाण पत्र सशुल्क निर्गत करने पर विचार ।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रू 50/– जमा करा कर चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।
(xii)	प्रवेश पत्र पर संशोधन सम्बन्धी निर्देश अंकित किये जाने पर विचार।	परीक्षा समिति ने संस्तुति की कि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसका निस्तारण तत्काल करा लिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठकं में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार परीक्षा

			नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।
34.17	MCA अथवा MJ कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेशित शिक्षार्थियों द्वारा प्रथम दो सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त अग्रतर अध्ययन छोड़ देने पर क्रमशः PGDCA अथवा PGDJMC कार्यक्रमों के अंक पत्र/डिप्लोमा निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	विद्या परिषद् ने MCA अथवा MJ कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेशित शिक्षार्थियों द्वारा प्रथम दो सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त अग्रतर अध्ययन छोड़ देने पर क्रमशः PGDCA अथवा PGDJMC कार्यक्रमों के अंक पत्र/डिप्लोमा निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार प्रभारी, प्रवेश को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
34.18	जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों के क्रमशः UGZY-03 और UGBY-03 प्रश्नपत्रों के प्रयोगात्मक से सम्बन्धित होने के कारण इन प्रश्न पत्रों में अधिन्यास व्यवस्था समाप्त किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	विद्या परिषद् जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों के क्रमशः UGZY-03 और UGBY-03 प्रश्नपत्रों के प्रयोगात्मक से सम्बन्धित होने के कारण इन प्रश्न पत्रों में अधिन्यास व्यवस्था समाप्त किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार प्रभारी, प्रवेश/परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
34.19	B.Sc. कार्यक्रम हेतु चयनित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) से इतर उसी विषय के अन्य पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) का अध्ययन कर सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट पूर्ण करने के उपरान्त अंक पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	विद्या परिषद् B.Sc. कार्यक्रम हेतु चयनित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) से इतर उसी विषय के अन्य पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) का अध्ययन कर सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट पूर्ण करने के उपरान्त अंक पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई एवं भविष्य में सूचना विवरणिका में वर्णित संयुक्तियों के अनुरूप ही प्रवेश लिये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार प्रभारी, प्रवेश एवं परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

34.20	PGDCA कार्यक्रम उत्तीर्ण शिक्षार्थी श्री गंगेश कुमार द्वारा Lateral Entry के आधार पर MCA कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेशोपरान्त MCA कार्यक्रम पूर्ण करने पर 8वें दीक्षान्त समारोह में कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के परास्नातक कार्यक्रम से सम्बन्धित स्वर्ण प्रदक अन्य शिक्षार्थी श्रीमती प्रियंका राय को दिये जाने पर की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में विचार।	विद्या परिषद् ने कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित एम.सी.ए. कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी के तीनों वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत तथा एम.सी.ए. Lateral Entry कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी के दोनों वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत की तुलना के आधार पर सर्वाधित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण शिक्षार्थी को कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा का परास्नातक स्वर्ण प्रदक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
34.21	DOEACC Society द्वारा संचालित 'ए' लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में Lateral Entry के माध्यम से सीधे एम.सी.ए. के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने DOEACC Society द्वारा संचालित 'ए' लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को Lateral Entry के माध्यम से एम.सी.ए. कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने हेतु नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित के अनुसार समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया :– 1 डॉ. एस. पी गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, – संयोजक उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 2 डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन वि.शा. – सदस्य उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 3 प्रो. के.के. भूटानी, निदेशक, निदेशक, UPTECH, इलाहाबाद – सदस्य 4. कम्प्यूटर क्षेत्र में भिज्ञ मा. कुलपति जी द्वारा नामित व्यक्ति – सदस्य	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक संख्या ओ.यू/997/2014 दिनाँक 30–10–2014 द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए संयोजक को क्रियान्वयन कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

34.22	स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत न्यूट्रीशन फूड एवं डायटेटिक्स विषय में M.Sc कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत न्यूट्रीशन फूड एवं डायटेटिक्स विषय में M.Sc कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 29 अगस्त, 2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा को अवगत कराया जा चुका है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 35.03

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के अध्यादेश पर विचार

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 द्वारा निर्देश दिया गया था कि जब तक द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों से सम्बन्धित अध्यादेश तैयार कर मा0 कुलाधिपति जी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है तब तक इन कार्यक्रमों में नया प्रवेश न लिया जाय। अतः सम्बन्धित पत्र में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2014–15 से द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों का संचालन बन्द कर दिया गया।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशकों एवं प्रभारी, मानविकी विद्या शाखा द्वारा द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के अध्यादेश तैयार कर लिया गया है। तैयार अध्यादेश **संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या** 60-62 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के तैयार अध्यादेश को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 35.04

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों को दिये जा रहे उपाधियों के प्रारूप में अपेक्षित संशोधन किये जाने पर विचार

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई.–3474/5जी.एस./2013 दिनाँक 20–06–2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में निवर्तमान मा. कुलपति जी ने उपाधि के प्रारूप में संशोधन किये जाने हेतु आदेश दिया था। निवर्तमान मा. कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के पत्राँक संख्या ओ.यू./462/2014 दिनाँक 02–07–2014 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा **संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या** 63-69 **पर उपलब्ध है।** इस अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए उपाधि के आवश्यक विशिष्टयों (कागज/डिजाइनिंग आदि) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय की गठित निविदा समिति की संस्तुति **संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या** 70 **पर उपलब्ध है।**

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों को दिये जा रहे उपाधियों के प्रारूप में आवश्यक विशिष्टियों (कागज/डिजाइनिंग आदि) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय की गठित समिति की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की।

विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की जाने वाली अंक पत्रों/उपाधियों में वर्णित जनपद इलाहाबाद के बगल में (भारत/India) अंकित किया जाय।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 35.05

Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ करने हेतु अध्यादेश के संशोधन पर विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत **यू.जी.सी. (M.Phil/Ph.D. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009** के आधार पर तैयार किये गये Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रमों की दिशा निर्देश कार्य परिषद् की 62वीं Adjourned बैठक, जो दिनाँक 18 सितम्बर, 2012 को सम्पन्न हुई, के संकल्प संख्या 62.13 (9) के निर्णय के अनुसरण में मा. कुलाधिपति जी के अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./1918/2013 दिनाँक 24–01–2013 द्वारा विशेष सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राजभवन, लखनऊ को प्रेषित किया गया था, परन्तु

अद्यतन आदेश अप्राप्त है। विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम के प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में संशोधित अध्यादेश **संलग्नक 05 पृष्ठ सं** 71-85 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने Ph.D तथा M.Phil कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ करने हेतु यू.जी.सी. रेगुलेसन 2009 के प्रावधान के अनुसार तैयार अध्यादेश को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 35.06

विश्वविद्यालय में नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं द्वारा अपने–अपने विद्या शाखाओं के अन्तर्गत कुछ नए कार्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव अध्ययन बोर्ड एवं विद्या शाखा बोर्ड के माध्यम से स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें सम्बन्धित विद्या शाखाओं द्वारा उसके पाठ्यक्रम (Syllabus), प्रवेश हेतु अर्हता, कार्यक्रम की अवधि, शुल्क एवं प्रश्न पत्रों के नाम (क्रेडिट के साथ) आदि का उल्लेख किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष संचालित किए जाने वाले नवीन कार्यक्रमों के नाम निम्नवत है :–

(क) **मानविकी विद्या शाखा द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम**

(i) Diploma in Urdu
(ii) Master of Arts in Urdu
(iii) Diploma in Urdu Journalism and Mass Communication
(iv) Diploma in Urdu News Reading and Anchoring

(ख) **समाज विज्ञान विद्या शाखा द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम**

(i) Diploma in Consumer Protection
(ii) Post Graduate Diploma in Green Social Work
(iii) Post Graduate Diploma in Environmental Governance and Waste Management
(iv) Master in Gandhian Thought and Peace Studies

(ग) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) Diploma in Web Technology
(ii) Post Graduate Diploma in Cyber and Information Security

(घ) प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) Certificate in Tourism and Travel Management
(ii) Post Graduate Diploma in Tourism and Travel Management
(iii) Master in Tourism and Travel Management

(ङ) विज्ञान विद्या शाखा द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) Certificate in Applied Statistics and Computers
(ii) Diploma in Applied Statistics and Computers
(iii) Post Graduate Diploma in Forensic Science

(च) स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) B.Sc. in Human Nutrition
(ii) M.Sc. in Food and Nutrition

(छ) व्यवसायिक अध्ययन विद्या शाखा द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम

(i) Diploma in Paper Craft
(ii) Diploma in Jwellory Designing
(iii) Bachelor of Fine Arts (BFA)

अतः विद्या शाखाओं द्वारा प्राप्त प्रस्ताव (अभिलेखों सहित) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने नये कार्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न विद्या शाखाओं के प्रस्तावों को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 35.07

दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना पर विचार

विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र प्रदेश के विभिन्न जनपदों/कस्बों में स्थित महाविद्यालयों एवं संस्थानों में स्थापित है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय अपने विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। विश्वविद्यालय एक सामुदायिक कालेज की स्थापना करना चाह रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसके समुदाय और स्थानीय व्यापारिक व औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से कौशल विकास द्वारा जीवकोपार्जन हेतु सम्मानजनक रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना है।

प्रश्नगत विषय पर विचार करने हेतु माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ.यू./956/2014 दिनाँक 27–10–2014 द्वारा एक समिति गठित की गयी है। समिति के दिनाँक 29–10–2014 के बैठक की कार्यवृत्त **संलग्नक 06 पृष्ठ संख्या** 86-87 पर उपलबध है, जो विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। अवगत कराना है कि **"दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज"** विषय पर दिनाँक 24–11–2014 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु गठित समिति के दिनाँक 29–10–2014 के बैठक की कार्यवृत्त /अध्यादेश को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 35.08

गाँधियन अध्ययन केन्द्र, नेहरू अध्ययन केन्द्र तथा अम्बेडर अध्ययन केन्द्र के स्थापना पर विचार

विश्वविद्यालय राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, पं. जवाहर लाल नेहरू तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों के अध्ययन, मनन तथा उससे सम्बन्धित अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु इन तीनों सामाजिक विचारकों के नाम पर निम्नलिखित के अनुसार अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करना चाहता है :–

(i) गाँधियन अध्ययन केन्द्र
(ii) नेहरू अध्ययन केन्द्र
(iii) अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में गाँधियन अध्ययन केन्द्र, नेहरू अध्ययन केन्द्र एवं अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की संस्तुति की एवं इस सम्बन्ध में उक्त तीनों अध्ययन केन्द्रों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए जाने की भी संस्तुति की।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ. (ए.के. सिंह)
कुलसचिव

संलग्नक-01

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 28 अगस्त, 2014 को प्रातः 9.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 34वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	डॉ. पृथ्वीश नाग कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. के.के. भूटानी, निदेशक, UPTECH, तीसरा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (निवास–20/05, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद)	सदस्य
3.	श्री जी.एन. साहा, Ex. Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata, 23, टीचर्स हाउसिंग इस्टेट बाघाजतीन पार्क, पो.आ.– पंचशायर, कोलकाता -7000943.	सदस्य
4.	प्रो. बी.एन. सिंह, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

9.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
10.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	डॉ. जी.के. द्विवेदी, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
12.	डॉ. दिनेश सिंह, सहायक निदेशक/असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
13.	डॉ. ए.के. सिंह कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

01. डॉ. वाई.वी.एन. कृष्ण मिर्थी,
निदेशक, भारतीय रिमोट सेन्सिंग संस्थान,
4, कालीदास रोड, देहरादून–248001

02. प्रो. ए.पी. वार्ष्णेय,
कुलपति, पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। माननीय कुलपति जी ने विद्या परिषद् के नये सम्मानित सदस्यों श्री जी.एन. साहा, Ex. Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata, 23, टीचर्स हाउसिंग इस्टेट बाघाजतीन पार्क, पो.आ.– पंचशायर, कोलकाता -700094 एवं प्रो. बी.एन. सिंह, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् के अन्य सम्मानित सदस्यों से परिचय कराया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.01

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 02–05–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 02-05-2013 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक पृष्ठ संख्या** ------- पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 02–05–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.02

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 02–05–2013 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 02–05–2013 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
31.01	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 31 मई, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
31.02	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 31 मई, 2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
31.03	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 22 नवम्बर, 2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
31.04	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 22	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा

	नवम्बर, 2012 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।		चुकी है।
31.05	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित त्रिवर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम को दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No/Notification/ 40.5.1.4/2012 दिनाँक 01-11-2012 के अनुसरण में 02 वर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम के रूप में संचालन करने पर विचार।	विद्या परिषद् ने त्रिवर्षीय एम. बी. ए. कार्यक्रम के स्थान पर जुलाई 2013–14 सत्र से 02 वर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा की अध्ययन बोर्ड/स्कूल बोर्ड के बैठकों की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	(i) दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। (ii) सत्र जुलाई 2013–14 से 02 वर्षीय एम.बी.ए. कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
31.06	विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर आपदा प्रबन्धन (Disaster Management) को एक वैकल्पिक प्रश्नपत्र के रूप में लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14–5/2007(CPP) दिनाँक 27 नवम्बर, 2012 पर विचार।	विद्या परिषद् ने प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के बोर्ड की दिनाँक 10–01–2013 की बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर आपदा प्रबन्धन (Disaster Management) को वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में आगामी सत्र जुलाई, 2014 से लागू किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। सत्र जुलाई 2014–15 की सूचना विवरणिका में स्नातक स्तर पर आपदा प्रबन्धन (Disaster Management) को एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में प्रारम्भ करने हेतु समाहित कर लिया गया है।
31.07	एक साथ दो या उससे अधिक कार्यक्रमों के प्रवेश नीति के सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No/Dec/ Notification/40.5.1.5/2012/ 15983/16889 दिनाँक 01-11-2012 पर विचार।	दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.No/Dec/Notification/ 40.5.1.5/2012/ 15983/16889 दिनाँक 01-11-2012 द्वारा निर्गत अधिसूचना को विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
31.08	आगामी सत्र से नये कार्यक्रमों को	विद्या परिषद् ने आगामी सत्र से नये कार्यक्रमों	दिनाँक 15–12–2013 को

	प्रारम्भ करने पर विचार।	के संचालन हेतु विभिन्न विद्या शाखाओं द्वारा की गयी संस्तुतियों को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने अनुमति प्राप्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुमति प्राप्त होने पर नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जायेगा।
31.09	**दिनाँक 17 अप्रैल, 2013 को परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार।**		
(i)	परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मानकों पर विचार।	परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि किसी केन्द्र के खिलाफ यदि कोई आरोप है तो जाँच के परिणाम आने तक उस अध्ययन केन्द्र को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। साथ ही यह भी संस्तुति की गयी कि आरोपित/काली सूची के अध्ययन/परीक्षा केन्द्रों को पुनः परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है।
(ii)	जून – 2013 की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण पर विचार।	परीक्षा समिति ने माननीय कुलपति जी के निर्देशन में परीक्षा केन्द्र निर्धारण करने हेतु समिति का गठन किये जाने की संस्तुति की जो गठन के एक सप्ताह के अन्दर परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण कर अन्तिम सूची तैयार करेगी। परीक्षा जून – 2013 व दिसम्बर – 2013 के सापेक्ष परीक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची तैयार कर परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने की संस्तुति की गयी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		लिया।	
(iii)	पूर्व की परीक्षाओं में निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों से अवगत होना।	परीक्षा जून – 2012 व दिसम्बर – 2012 के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा समिति को अवगत कराया गया। विद्या परिषद् प्रश्नगत बिन्दु से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
(iv)	जून 2013 की परीक्षा समय सारणी पर विचार।	परीक्षा समिति ने अवगत कराया गया कि जून – 2013 परीक्षा की प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम दिनांक 22.03.2013 को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड कर दिया गया था जिसके सापेक्ष संशोधन हेतु सुझाव प्राप्त हुये। सुझाव के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन कर अन्तिम रूप दिया गया। माननीय कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को मा0 कुलाधिपति कार्यालय को उनके निर्देशानुसार प्रेषित किया जा चुका है। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
(v)	दिसम्बर 2011 व जून 2012 की परीक्षा से सम्बन्धित अनुचित साधन प्रयोग मामलों के निस्तारण हेतु गठित समिति एवं संवीक्षा समिति के प्रतिवेदन से अवगत होना।	दिसम्बर – 2011 व जून – 2012 की परीक्षा से सम्बन्धित अनुचित साधन प्रयोग के मामलों व संवीक्षा हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन से परीक्षा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात मामलों का निस्तारण किया गया एवं शिक्षार्थियों को सूचित किया गया। परीक्षा समिति द्वारा बी.एल. आई. एस. कार्यक्रम के प्रकरण पर चर्चा की गयी, जिसमें अंक परिवर्तित थे एवं टिप्पणी की गयी कि ऐसे परीक्षक को पहचान कर उन्हें परीक्षा कार्य से दूर रखा जाय। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
(vi)	परीक्षा सम्बन्धित अन्य कार्यों के पारिश्रामिक (जो राज्य विश्वविद्यालयों के लिए जारी	परीक्षा सम्बन्धित अन्य कार्यों के परिश्रमिक के पुनरीक्षण पर विचार के हेतु एक समिति के गठन किये जाने की संस्तुति की गयी	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक

	शासनादेश में आच्छादित नहीं है) के पुनरीक्षण पर विचार।	जो अपने विश्वविद्यालय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव तैयार करें एवं परीक्षा सम्बन्धित दरें पुनरीक्षित करें। जो दरें लागू न हो उसे निकाल दिया जाय एवं इस सन्दर्भ में प्रस्ताव वित्त अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। जिस पर क्रियान्वयन होना प्रक्रियाधीन है।
(vii)	अंक पत्र संशोधन से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने अंकपत्र संशोधन हेतु एक वर्ष का समय निर्धारित किये जाने की संस्तुति के साथ अंकपत्र व प्रवेश पत्र में शिक्षार्थी के नाम हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उल्लेख करने का निर्णय लिया। परीक्षा समिति ने यह भी संस्तुति की कि यदि शिक्षार्थी प्रवेश के एक वर्ष के अन्दर प्रवेश सम्बन्धी Basic Data में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संशोधन नही कराता है तो उसे संशोधन के लिये प्रार्थना पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। Basic Data में 01 वर्ष के पश्चात संशोधन कराये जाने हेतु रु. 400/– शुल्क निर्धारित किया गया है जिसका उल्लेख सत्र 2014–15 के प्रवेश विवरणिका में किया जा चुका है।
(viii)	BCA छात्रा सुश्री उदिता शंकर ओझा के प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति के समक्ष BCA छात्रा सुश्री उदिता शंकर ओझा का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। चर्चा के पश्चात आम सहमति से निर्णय लिया गया कि उत्तर पुस्तिका न भेजने के सन्दर्भ में परीक्षा केन्द्र रामलगन पी. जी. कालेज, मऊ, एस–187 को कारण बताओ नोटिस भेजा जाय एवं उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुये अध्ययन केन्द्र व परीक्षा केन्द्र को स्थगित कर दिया जाय। छात्रा द्वारा उस परीक्षा सत्र में दिये गये अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंको के आधार पर छात्रा को सम्बन्धित प्रश्न पत्र में औसत अंक प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार सुश्री उदिता शंकर ओझा का अंक पत्र निर्गत किया जा चुका है। अध्ययन केन्द्र एस–187 रामलगन पी. जी. कालेज, जमालपुर, मिर्जापुर, घोसी, मऊ को परीक्षा नियंत्रक ने अपने पत्राँक ओ. यू./परीक्षा/6877/2013 दिनाँक 10–09–2013 द्वारा

		को यथावत स्वीकार किया।	भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के निर्णय से सम्बन्धित केन्द्र के समन्वयक/प्राचार्य को अवगत करा दिया है। जबकि अध्ययन केन्द्र के Debar किये जाने के सम्बन्ध में अद्यतन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। केन्द्र द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 68496/2013 योजित की गयी है जो मा. उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों के साथ नई याचिका योजित करने के निर्णय के साथ खारिज कर दिया गया। पुनः अध्ययन केन्द्र द्वारा नयी याचिका संख्या 26153/2014 योजित किया गया है जो अद्यतन विचाराधीन है।
(ix)	उपभोक्ता फोरम में योजित वाद सुश्री विरक्ति राय के प्रकरण एवं निस्तारण आदेश से अवगत होना।	उपभोक्ता फोरम में सुश्री विरक्ति राय द्वारा योजित वाद के प्रकरण में पारित आदेश से परीक्षा समिति को अवगत कराया गया। परीक्षा समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो इसको ध्यान में रखा जाय। परीक्षा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सुश्री विरक्ति राय को सूचना प्रेषित की जाय कि उनके द्वारा दी गयी एम.ए. की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त की जा रही है। अतः इस क्रम में उनके एम. ए. का अंकपत्र व उपाधि भी निरस्त की जाती है। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनाँक 30–03–2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार सुश्री विरक्ति राय को उनके एम.ए. की परीक्षा के साथ निर्गत एम. ए. के अंक पत्र एवं उपाधि निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू. /1009/2013 दिनाँक 07–09–2013 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। सुश्री विरक्ति राय द्वारा इस पत्र के विरुद्ध माननीय उपभोक्ता फोरम,

			गोरखपुर में इजरा संख्या 76/2013 योजित किया गया, जो अद्यतन विचाराधीन है।
(x)	MAEN की छात्रा सुश्री स्तुति सिंह के प्रकरण पर विचार।	MAEN की छात्रा सुश्री स्तुति सिंह के MAEN-07 प्रश्न पत्र की जून – 2012 परीक्षा की उत्तर पुस्तिका उनके परीक्षा केन्द्र ईश्वर शरण डिग्री कालेज, इलाहाबाद, एस– 51 द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र द्वारा पत्राचार के उपरान्त कोई उत्तर नहीं दिया गया। परीक्षा समिति ने छात्रा द्वारा परीक्षा सत्र जून – 2012 में MAEN-07 के साथ दिये गये अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंको के आधार पर सम्बन्धित प्रश्न पत्र में औसत अंक प्रदान करते हुए मामले को निस्तारित किये जाने की संस्तुति की। साथ ही अध्ययन केन्द्र को कारण बताओ नोटिस देते हुये परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की भी संस्तुति की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
31.10	**दिनाँक 29 अप्रैल, 2013 को आहूत मान्यता बोर्ड की 16वीं Adjourned बैठक, जो दिनाँक 02 मई, 2013 को सम्पन्न हुई, के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार।**		
(i)	सत्र 2013–14 में नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों/ आवेदन पत्रों पर विचार।	*मान्यता बोर्ड ने नये अध्ययन केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत असेवित तथा अल्पसेवित जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों/आवदेन पत्रों पर गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा से सहमति व्यक्त की तथा स्क्रीनिंग समिति द्वारा संस्तुत शेष स्थापित होने वाले नये अध्ययन केन्द्रों से निम्नानुसार सूचना/आख्या प्राप्त होने के उपरान्त नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना पर विचार किये जाने की संस्तुति की गयी*	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		– (क) प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र से जिला मुख्यालय की दूरी। (ख) प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र से उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय का पूर्व से संचालित निकटतम अध्ययन केन्द्र का नाम तथा उसकी दूरी। वांछित सूचना 20 मई, 2013 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	
(ii)	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार।	मान्यता बोर्ड ने पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में गठित स्क्रीनिंग समिति से प्राप्त अनुशंसाओं से सहमति व्यक्त की। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 15–12–2013 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
(iii)	सत्र 2013–14 में प्रस्तावित नये अध्ययन केन्द्र/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र पर BLIS कार्यक्रम देने पर पुनः विचार।	मान्यता बोर्ड ने उ0प्र0 शासन द्वारा महाविद्यालयों की मान्यता देते समय ही अनिवार्य रूप से पुस्तकालय के स्थापित होने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रस्तावित महाविद्यालयों में नये अध्ययन केन्द्रों/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों पर बिना	दिनाँक 30–03–2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है, लेकिन ऐसे नये स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों

		स्थलीय निरीक्षण के BLIS कार्यक्रम संस्तुत किये जाने पर सहमति व्यक्त की। विद्या परिषद् ने अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में BLIS कार्यक्रम अनुमन्य किये जाने हेतु मानक के अनुसार निरीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया।	में बी.एल.आई.एस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति निरीक्षण न हो पाने के कारण नहीं दी गयी है।
31.11	राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–5114/जी0एस0 दिनांक 06–07–2012 पर विचार।	विद्या परिषद् ने प्रश्नगत प्रकरण के सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया कि जनहित/छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बन्द किये गये सभी कार्यक्रमों को पुनः संचालित किये जाने के सम्बन्ध में महामहिम कुलाधिपति जी को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय तथा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों को पुनः संचालित किया जाय।	दिनाँक 30–03–2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ. यू/2007/2014 दिनाँक 19–02–2014 द्वारा राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अग्रतर आदेश अप्राप्त है।
31.12	विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार।	विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठकों की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	विभिन्न कार्यक्रमों के अनुमोदित पाठ्यक्रमों (Syllabi) के अनुसार संस्तुत सम्बन्धित लेखकों/विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की स्व अध्ययन सामग्री निर्मित करायी जा रही है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.03

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 07–02–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 07-02-2014 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक पृष्ठ संख्या** ------- पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 07–02–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.04

विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 07–02–2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 07–02–2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
32.01	दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	दिनाँक 07–02–2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में उपस्थित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दी गयी। शेष विद्यार्थियों को उपाधि उनके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

32.02	दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदन पर विचार।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को आयोजित होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	दिनाँक 07–02–2014 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार अष्ठम् दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2012/जून 2013 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिया जा चुका है।
32.03	दिनाँक 08 फरवरी, 2014 को होने वाले अष्ठम् दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.05

विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनाँक 03 मई, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 03 मई, 2014 को सम्पन्न विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या ----- पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 03 मई, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.06

विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनाँक 03 मई, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी आपातकालीन बैठक दिनाँक 03 मई, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
33.01	दिनाँक 03 मई, 2014 को परीक्षा समिति की सम्पन्न आपातकालीन बैठक में की गई संस्तुतियों पर विचार		
01.	सत्र 2009 – 10 में बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा मा. उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 22005/2014 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये Observation के आलोक में प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचारोपरान्त निम्नवत संस्तुतियाँ की – I. कुमारी प्रिया मिश्रा के प्रकरण में छात्रा के हित व व्यतीत समय एवं योजित याचिका के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विशेष परिस्थिति में प्रवेश सूचना विवरणिका में वर्णित प्रतिबन्धित विषय विकल्पों में छूट प्रदान करते हुए उनके द्वारा चयनित विषयों के आधार पर क्रेडिट पूर्ण करने की स्थिति में पूर्ण अंकपत्र श्रेणी सहित निर्गत किया जाय।	(i) मा. कुलपति जी के आदेश से कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा चयनित विषयों के आधार पर क्रेडिट पूर्ण करने की स्थिति में पूर्ण अंक पत्र श्रेणी सहित दिनाँक 05–05–2014 को निर्गत करते हुए उपलब्ध कराया जा चुका है। दिनाँक 08–05–2014 को सम्बन्धित याचिका खारिज किया

		II. प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के किसी अन्य प्रकरण के संज्ञान में आने पर परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर मा. कुलपति जी द्वारा निर्णय लिया जाय। III. प्रवेश अनुभाग को निर्देशित किया जाय कि प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के प्रकरणों में प्रवेश रोकते हुये, नामांकन संख्या व परिचय पत्र न आवंटित किये जाय। IV. परीक्षा अनुभाग को निर्देशित किया जाय कि प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के प्रकरणों में प्रवेश पत्र न जारी किया जाय। यदि शिक्षार्थी प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के साथ परीक्षा दे देता है तो उसका परिणाम रोक दिया जाये। V. अंकपत्र के प्रारूप संशोधन हेतु मा. कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जाय। परीक्षा समिति की अनुशंसाओं को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।	जा चुका है। शेष अन्य बिन्दुओं पर क्रियान्वयन अवशेष है।
02.	अध्ययन केन्द्र S-004: श्री मुरली मनोहर टाउन पी. जी. कालेज, बलिया द्वारा जून 2013 परीक्षा के सापेक्ष अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने के कारण रोके गये परीक्षाफल पर विचार।	परीक्षा समिति ने विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया – जून 2013 परीक्षा के सापेक्ष जिन शिक्षार्थियों के अधिन्यास के कारण अंकपत्र अपूर्ण हैं उन्हें पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित लिखित अधिन्यास उत्तर पुस्तिकायें क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में जमा करने के लिये सूचित किया जाय तथा उसका मूल्यांकन करा कर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाये। यह सूचना अध्ययन केन्द्र के	निर्णयानुसाार मा. कुलपति जी के आदेश से विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू/261/2014 दिनाँक 21–05–2014 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को एवं प्राचार्य, श्री मुरली मनोहर टाउन पी.जी. कालेज, बलिया को पत्राँक ओ. यू/311/2014 दिनाँक 05–06–2014 द्वारा क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

		प्राचार्य/समन्वयक को भी प्रेषित किया जाय। अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने सम्बन्धी अनियमितता के लिये अध्ययन केन्द्र पर रु. 03 लाख का जुर्माना भी लगाया जाय। परीक्षा समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।	
03.	अध्ययन केन्द्र S-703 : डिफेन्स कालेज ऑफ कामर्स एण्ड टेक्निकल मैनजमेन्ट, देवरिया के प्रबन्धक के दिनाँक 12-04-2014 के पत्र पर विचार।	सम्बन्धित प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन हैं इसलिये मा. उच्च न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षा किया जाय तथा परीक्षा समिति के पुराने निर्णय को यथावत रखा जाय। परीक्षा समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।	निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू/259/2014 दिनाँक 21–05–2014 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है जिसके अनुसार केन्द्र द्वारा योजित याचिका के परिप्रेक्ष्य में मा. उच्च न्यायालय के निर्णय तक सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाना है।
04.	अध्ययन केन्द्र राजा कान्ह पी.जी. कालेज, जगेसरगंज, सुल्तानपुर के शिक्षार्थी श्री ओम प्रकाश तिवारी 1498, नवीनपुर शाहगंज (श्यामानगर) सुल्तानपुर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से योजित याचिका संख्या 37079/2012 में पारित आदेश दिनाँक 31.07.2012 के अनुसरण में कृत कार्यवाही से अवगत होना।	परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि श्री ओम प्रकाश तिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र के उत्तर आने तक प्रकरण पर अग्रेतर कोई कार्यवाही न की जाय। परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि श्री ओम प्रकाश तिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा अनुस्मारक भेजा जाय एवं उन्हे दो माह का समय दिया जाय अन्यथा की स्थिति में तत्कालीन मा0	निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू/257/2014 दिनाँक 21–05–2014 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। परीक्षा नियंत्रक द्वारा सम्बन्धितों को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। श्री अमर बहादुर सिंह एवं श्री ओम प्रकाश तिवारी का उत्तर प्राप्त हो चुका है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन

		कुलपति जी द्वारा निर्गत आदेश/निर्णय के आलोक में कार्यवाही किया जाय।	है।
33.02	अधिन्यास प्रश्न पत्र निर्माण के सम्बन्ध में विचार।	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि अधिन्यास प्रश्न पत्र व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा करके विभिन्न विद्याशाखाओं के निदेशकों की एक समिति गठित कर उनसे तत्काल प्रस्ताव प्राप्त कर माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही की जाय। विद्या परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2014–15 के लिए एक–एक अधिन्यास प्रश्न पत्र बनवाने के लिए सम्बन्धित विद्याशाखाओं के निदेशकों को अधिन्यास निर्माता का नाम निर्धारित करने एवं निर्मित कराने के लिए अधिकृत किया जाय। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के नाम निर्धारित करने एवं मूल्यांकन कराये जाने हेतु भी सम्बन्धित विद्याशाखाओं के निदेशकों को अधिकृत किया जाय।	निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू/258/2014 दिनाँक 21–05–2014 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्य परिषद् की दिनाँक 15–12–2013 की बैठक में प्रकरण वित्त समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। कार्य परिषद् के निर्णयानुसार सत्र 2014–15 से अधिन्यास प्रश्न पत्र के एक–एक सेट का निर्माण कराया जा रहा है।
33.03	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए. कार्यक्रम में वैकल्पिक विषयों के प्रतिबन्ध पर सरलीकरण किए जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने वैकल्पिक विषयों के चयन में प्रतिबन्ध के सरलीकरण किये जाने हेतु डॉ. नागेन्द्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को एक प्रस्ताव बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया।	निर्णयानुसाार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू/259/2014 दिनाँक 21–05–2014 को डॉ. नागेन्द्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है लेकिन उनके स्तर से कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.07

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए./बी.एससी. के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के परिमार्जन, अग्रेतर संचालन एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को दिये जाने वाले उपाधि के प्रारूप पर गठित समिति की दिनाँक 08 अक्टूबर, 2013 के बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार क्रियान्वयन हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए./बी.एससी. के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के परिमार्जन, अग्रेतर संचालन एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को दिये जाने वाले उपाधि के प्रारूप पर गठित समिति की दिनाँक 08 अक्टूबर, 2013 की बैठक की कार्यवृत्त (संलग्नक पृष्ठ संख्या .....) की संक्षिप्त संस्तुतियाँ निम्नवत है :–

1. बी.ए.(सामान्य), बी.ए.(मेजर) तथा बी.ए.(रोजगारपरक) के तीन भिन्न–भिन्न कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में प्रवेशार्थियों के बीच असमंजस तथा इन तीनों कार्यक्रमों के प्रवेशकार्य, परामर्श कक्षाओं व परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए विगत सत्रों में बी.ए.(मेजर) व बी.ए.(रोजगारपरक) में बहुत कम नामांकन होने के कारण सत्र 2014–15 से इन तीनों के स्थान पर केवल बी.ए.(सामान्य) कार्यक्रम संचालित किया जाये तथा इसे बी.ए. के नाम से ही सम्बोधित किया जाये।

2. बी.एससी. (सामान्य), बी.एससी. (मेजर) तथा बी. एससी. (रोजगारपरक) के तीन भिन्न–भिन्न कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में प्रवेशार्थियों के बीच असमंजस तथा इन तीनों कार्यक्रमों के प्रवेशकार्य, परामर्श कक्षाओं व परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए विगत सत्रों में बी.एससी. (मेजर) तथा बी.एससी. (रोजगारपरक) में बहुत कम नामांकन होने के कारण सत्र 2014–15 से इन तीनों के स्थान पर केवल बी.एससी. (सामान्य) कार्यक्रम संचालित किया जाये तथा इसे बी. एससी. के नाम से ही सम्बोधित किया जाये।

3. सत्र 2013–14 तक प्रवेश पाये छात्रों की बी.ए. के तीनों कार्यक्रमों की अंकतालिका एवं उपाधि में यथास्थान कला स्नातक (सामान्य), कला स्नातक (मेजर) अथवा कला स्नातक (रोजगारपरक) एवं क्रमशः Bachelor of Arts (General), Bachelor of Arts (Major) Or Bachelor of Arts (Job Oriented) आवश्यकतानुसार लिखा जाये।

4. सत्र 2013–14 तक प्रवेश पाये छात्रों की बी.एससी. के तीनों कार्यक्रमों की अंकतालिका एवं उपाधि में यथास्थान विज्ञान स्नातक (सामान्य), विज्ञान स्नातक (मेजर) अथवा विज्ञान

स्नातक (रोजगारपरक) एवं क्रमशः Bachelor of Science (General), Bachelor of Science (Major) Or Bachelor of Science (Job Oriented) आवश्यकतानुसार लिखा जाये।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार उपर्युक्त संस्तुतियों के बिन्दु 01 एवं 02 के अनुसार सत्र 2014–15 की सूचना विवरणिका में उल्लेख किया जा चुका है जो विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है। जबकि समिति की संस्तुतियों का बिन्दु 03 एवं 04 विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी.ए./बी.एससी. के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के परिमार्जन, अग्रेतर संचालन एवं सम्बन्धित कार्यक्रमों को पूर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को दिये जाने वाले उपाधि के प्रारूप पर गठित समिति की दिनाँक 08 अक्टूबर, 2013 के बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 01 एवं 02 के अनुसार क्रियान्वयन हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होते हुए शेष अन्य बिन्दुओं पर कार्यवृत्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.08

सत्र जुलाई 2013–14 से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.एल.आई.एस.) कार्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम (Sylabus) के परिप्रेक्ष्य में निर्मित स्व अध्ययन सामग्री के अनुसार प्रारम्भ किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.एल.आई.एस.) कार्यक्रम के संचालन में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा निर्मित स्व अध्ययन सामग्री का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से किया जा रहा था लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा नये आधुनिक पाठ्यक्रमों (Syllabi) को दृष्टिगत रखते हुए पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (BLIS)कार्यक्रम की स्व अध्ययन सामग्री हिन्दी माध्यम से विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित करायी गयी है। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार बी.एल.आई.एस. कार्यक्रम का निर्मित स्व अध्ययन सामग्री का उपयोग तत्कालीन माननीय कुलपति जी के आदेश से विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2013–2014 से किया जा रहा है।
अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् सत्र जुलाई 2013–14 से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.एल.आई.एस.) कार्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम (Sylabus) के परिप्रेक्ष्य में निर्मित स्व अध्ययन सामग्री के अनुसार प्रारम्भ किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई एवं Computer Science/Information Technology से सम्बन्धित अद्यतन आधुनिक तकनीकी यथा Cloud एवं Drop Box आदि तकनीकी को भी पाठ्य सामग्री में समावेशित किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.09

द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों में सत्र 2014–15 से प्रवेश न लिये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रम विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद की स्वीकृति के आधार पर संचालित है। राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 (संलग्नक– पृष्ठ संख्या .....) द्वारा निर्देश दिया गया है कि जब तक इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित अध्यादेश तैयार कर मा0 कुलाधिपति जी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है तब तक इन कार्यक्रमों में नया प्रवेश न लिया जाय। अतः सम्बन्धित पत्र में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में मा0 कुलपति जी के आदेश से सत्र 2014–15 से द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों का संचालन बन्द कर दिया गया है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष संज्ञानार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों में सत्र 2014–15 से प्रवेश न लिये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–3456/जी.एस. दिनाँक 23–05–2014 के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई एवं विश्वविद्यालय स्तर से अध्यादेश जल्द तैयार कराकर माननीय कुलाधिपति जी के संज्ञान में लाते हुए आगामी सत्र से इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.10

शैक्षिक सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के मान्यता की निरन्तरता (Continuation) से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, डेक

भवन, इग्नू परिसर, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068 के पत्र संख्या F.No.UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09/7022-7026 दिनाँक 28 मई, 2014 से अवगत होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, डेक भवन, इग्नू परिसर, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068 के पत्र संख्या F.No.UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09/7022-7026 दिनाँक 28 मई, 2014 द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की मान्यता की निरन्तरता शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु कतिपय शर्तों के अधीन प्रदत्त की गयी है। पत्र की प्रति संलग्नक पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है, जो विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् शैक्षिक सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के मान्यता की निरन्तरता (Continuation) से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, डेक भवन, इग्नू परिसर, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068 के पत्र संख्या F.No.UGC/DEB/SOUs/UPRTOU/09/7022-7026 दिनाँक 28 मई, 2014 से अवगत हुई तथा यह भी निर्णय लिया कि सम्बन्धित कार्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से स्थायी मान्यता प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.11

विश्वविद्यालय में सत्र 2014–15 से ओ.एम.आर. फार्म के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु शिक्षार्थियों से प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्रों के कम्प्यूटर प्रविष्टि में अधिक कर्मचारियों व Infrastucture के साथ अधिक समय लगता था तथा प्रविष्टि में त्रुटियां भी होती रहती थी। इसे दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में सत्र 2014–15 से ओ.एम.आर. फार्म के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया मा0 कुलपति जी के आदेश से प्रारम्भ की गयी है। इस ओ.एम.आर. फार्म में प्रवेश एवं परीक्षा से सम्बन्धित सूचनाएं भी शिक्षार्थियों द्वारा मांगी गयी है। जिससे शिक्षार्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित अन्य कोई फार्म नहीं भरना होगा। शिक्षार्थियों से प्राप्त ओ.एम.आर. फार्म की प्रोसेसिंग का कार्य फर्म के माध्यम से विश्वविद्यालय मुख्यालय स्तर पर ही सम्पन्न करायी जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में सत्र 2014–15 से ओ.एम.आर. फार्म के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.12

सत्र 2014–15 में विश्वविद्यालय में कश्मीरी प्रवासियों को प्रवेश में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 3–1/2012–NER दिनाँक 04–06–2014 पर विचार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या 3–1/2012–NER दिनाँक 04-06-2014 (संलग्नक– पृष्ठ संख्या .....) द्वारा कश्मीरी प्रवासियों को इस विश्वविद्यालय के सत्र 2014–15 में प्रवेश दिये जाने पर निम्नलिखित छूट दिये जाने की अपेक्षा की है :–

(i) Relaxation in cut off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement. 2

(ii) Increase in intake capacity upto 5% course-wise.

(iii) Reservation of at least one seat in merit quota in technical/professional institution.

(iv) Waiving off domicile requirements.

अतः सम्बन्धित पत्र विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनाँक 04–06–2014 को अंगीकृत करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.13

विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा Ph.D. शोध प्रबन्ध की प्रस्तुति के पूर्व आयोजित किये जाने वाले प्री–सबमिशन मौखिकी परीक्षा की व्यवस्था में सुधार किये जाने पर विचार

शोधार्थियों द्वारा Ph.D. शोध प्रबन्ध की प्रस्तुति के पूर्व आयोजित किये जाने वाले प्री–सबमिशन मौखिकी परीक्षा की व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

1. वर्तमान में शोधार्थियों के प्री–सबमीशन मौखिकी परीक्षा के उपरान्त शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अथवा अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है जिससे कभी–कभी असमान्य स्थिति उत्पन्न होती है। अतः इसके लिए न्यूनतम एक माह एवं अधिकतम 06 माह की अवधि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

2. प्री सबमीशन मौखिक परीक्षा के समय सम्बन्धित विद्या शाखा के निदेशक, शोध पर्यवेक्षक एवं विषय विशेषज्ञ के पैनल का उपस्थित रहना होता है। कभी कभी शोध पर्यवेक्षक अपरिहार्य कारणों से तत्समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं जिससे शोधार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य का सही आंकलन नहीं हो पाता है। अतः इसके लिए पैनल के सभी सदस्यों विशेष रूप से शोध पर्यवेक्षक की प्री–सबमीशन मौखिक परीक्षा के समय उपस्थिति अनिवार्य करने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

3. शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन में गति लाने के दृष्टिगत परीक्षकों के पैनल हेतु नाम के साथ दूरभाष संख्या, E-mail पता प्री–सबमीशन मौखिकी परीक्षा की तिथि तक शोध पर्यवेक्षक एवं निदेशक द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हैं।

Ph.D. उपाधि हेतु शोधार्थियों द्वारा शोध प्रबन्ध जमा किये जाने के पश्चात किसी किसी शोधार्थी की मौखिकी परीक्षा 02 माह के अन्दर सम्पन्न हो जाती है तथा किसी–किसी शोधार्थी की मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने में 02 वर्ष लग जाते है। विलम्ब से मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने से शोधार्थियों को क्षति होती है। अतः इस पर विचारोपरान्त नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अतः उपर्युक्त संस्तुतियाँ/प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निम्न निर्णय लिया :–

(i) प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा के उपरान्त शोधार्थी अपना शोध प्रबन्ध न्यूनतम एक माह एवं अधिकतम 06 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करें।

(ii) प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा के समय शोध पर्यवेक्षक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाय, परन्तु अपरिहार्य कारणों से शोध पर्यवेक्षक के उपस्थित न हो पाने पर माननीय कुलपति जी की अनुमति से ही प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा/प्रस्तुतीकरण सम्पन्न करायी जाय।

(iii) शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों के नाम के साथ, दूरभाष संख्या, ई–मेल पता व पत्राचार का पूर्ण पता प्री सबमीशन मौखिकी परीक्षा की तिथि तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिये जाय।

(iv) परीक्षकों की मूल्यांकन हेतु प्रेषित शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन प्रतिवेदन शोध प्रबन्ध के प्रेषण की तिथि से 06 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिये जाय अन्यथा की स्थिति में माननीय कुलपति जी के आदेश से अन्य अग्रतर कार्यवाही की जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.14

भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी0ओ0 न. 10–102/ओ.यू. /2007/आई0सी0आई0 1156 दिनांक 16 अगस्त 2013 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में **Foundation Course on Education of Children with Disability (FCED)** एवं **Foundation Course on Education of Children with Learning Disability (FCELD)** कार्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी0ओ0 न. 10–102/ओ.यू. /2007/आई0सी0आई0 1156 दिनांक 16 अगस्त 2013 (संलग्नक , पृष्ठ संख्या .....) के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्या शाखा द्वारा **Foundation Course on Education of Children with Disability (FCED)** एवं **Foundation Course on Education of Children with Learning Disability (FCELD)** कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु सम्बन्धित विद्या शाखा के शिक्षकों द्वारा दिनाँक 09–10–2013 को बैठक आहूत की गयी जिसमें भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र में वर्णित कार्यक्रमों के संचालन हेतु सहमति व्यक्त करते हुए इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु पूर्ण विवरण के साथ संस्तुतियों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि यह प्रस्ताव/संस्तुतियां शिक्षा विद्या शाखा के बोर्ड में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इसका अध्यादेश (Ordinance) प्रस्तुत किया गया है।

अतः शिक्षा विद्या शाखा द्वारा उक्त कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध मे तैयार प्रस्ताव एवं संस्तुतियाँ (संलग्नक , पृष्ठ संख्या .....) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के पत्र संख्या डी0ओ0 न. 10–102/ओ.यू. /2007/आई0सी0आई0 1156 दिनांक 16 अगस्त 2013 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्या शाखा द्वारा Foundation Course on Education of Children with Disability (FCED) एवं Foundation Course on Education of Children with Learning Disability

(FCELD) कार्यक्रम संचालित किये जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अन्य प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए इन कार्यक्रमों में प्रवेश जुलाई एवं जनवरी सत्रों में कराये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.15

विश्वविद्यालय में "गाँधी विचार एवं अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा" **Post Graduate Diploma in Gandhi Thoughts and Studies (PGDGTS)** कार्यक्रम संचालित किये जाने पर विचार

समाज विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत एक वर्षीय 'Post Graduate Diploma in Gandhi Thoughts and Studies' गांधी विचार एवं अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDGTS) कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु समाज विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड की दिनाँक 11-07-2013 के बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विद्या शाखा के बोर्ड की बैठक की कार्यवृत्त **संलग्नक पृष्ठ संख्या** .... पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के संचालन के पूर्व इसके अध्यादेश तथा स्व–अध्ययन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करना उचित होगा।

अतः समाज विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड की बैठक की कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने "गाँधी विचार एवं अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा" **Post Graduate Diploma in Gandhi Thoughts and Studies (PGDGTS)** कार्यक्रम संचालित किये जाने के प्रस्ताव को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.16

दिनाँक 26 नवम्बर, 2013 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

01. परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मानकों पर विचार

परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देश

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हो।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेगे।
3. परीक्षा केन्द्र पर कम से कम छात्र संख्या 60 हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहॉ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशष ध्यान रखा जाय।
5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिए कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।
7. बड़े शहरों मे एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।

पूर्व में परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु तय मानको पर पुनः विचार **(संलग्नक पृष्ठ संख्या .....)**

परीक्षा समिति द्वारा कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 16.03 में परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मानकों पर विचार, बिन्दु में "मानक" शब्द हटाकर "दिशा निर्देश" अंकित करने की संस्तुति दी गयी एवं अतिरिक्त विषय जोड़ने व नया बिन्दु अंकित करने की संस्तुति की गयी जिसका विवरण निम्नवत है:

<u>परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देश</u>

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हो।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेगे।
3. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले अध्ययन केन्द्र के स्वयं की कम से कम छात्र संख्या 60 हो व 3 वर्ष से अध्ययन केन्द्र चल रहा हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहॉ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशेष ध्यान रखा जाय।
5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिये कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 1 से 4 को ध्यान में रखते हुये अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।

7. बड़े शहरों मे एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।

8. विशेष परिस्थिति में मा0 कुलपति जी अपने विशेषाधिकार से परीक्षा केन्द्र बनाने की संस्तुति दे सकते हैं।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को निम्न संशोधन के साथ स्वीकार किया :–

(i) **बिन्दु संख्या 05 में वर्णित 01 से 04 के स्थान पर 01 से 06 को ध्यान में रखते हुए समिति अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।**

(ii) **बिन्दु संख्या 05 एवं 07 के क्रमाकों को आपस में परिवर्तित किये जायें।**

02. <u>प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार</u>

प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 150 का ड्राफ्ट/नकद जमा करा कर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या :.....)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 150/– से बढाकर 300/– कर दिया जाय एवं प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रोफार्मा में संशोधन करा दिया जाय व शुल्क ड्राफ्ट/नकद जमा करने का भी उल्लेख कर दिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

03. <u>प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात शिक्षार्थी द्वारा अंक पत्र में किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु आवेदन शुल्क निर्धारण पर विचार</u>

प्रवजन प्रमाण पत्र जो अन्तिम तौर पर विश्वविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र होता है, वह लेने के पश्चात भी शिक्षार्थी द्वारा अंक पत्र में संशोधन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात अंक पत्र पर किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु शुल्क निर्धारित करना आवश्यक है जिससे इस प्रकार के अभ्यास पर नियन्त्रण रखा जा सके।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रवजन प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात अंक पत्र पर किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु रू 500/– शुल्क जमा कराने के पश्चात संशोधन किया जाय बशर्ते विश्वविद्यालय की इसमें कोई गलती न हो।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

04. <u>अंक पत्र/उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत कराने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार</u>

अंक पत्र मुद्रित कर अध्ययन केन्द्र को एक साथ प्रेषित कर दिया जाता है। किन्तु प्रायः ऐसा पाया गया है कि शिक्षार्थियों द्वारा अध्ययन केन्द्र पर जा कर अंक पत्र लेने के बजाय सीधे परीक्षा अनुभाग में आकर द्वितीय अंक पत्र का आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है। शिक्षार्थियों की इस मंशा पर नियंत्रण रखने हेतु शुल्क वृद्धि पर विचार आवश्यक प्रतीत होता है। **(संलग्नक पृष्ठ संख्या .....)**

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अंक पत्र/उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत कराने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 100/– से बढ़ाकर रू 200/– लिया जाय एवं उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत करने से पूर्व छात्र से हलफनामा जमा करा लिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

05. <u>पूर्व निर्धारित संवीक्षा शुल्क में वृद्धि पर विचार</u>

सत्र 2004–05 से संवीक्षा शुल्क रू 100/– लिया जा रहा है शिक्षार्थी द्वारा अनुत्तीर्ण होने के पश्चात् भी इस आशा से आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है कि संवीक्षा होने पर सम्भवतः वह उत्तीर्ण हो सकते हैं। यह शुल्क काफी पहले से चला आ रहा है। परीक्षकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक एवं पत्रचार आदि पर हाने वाला खर्च काफी बढ़ गया है अतः इस मद में शल्क वृद्धि पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। **(संलग्नक पृष्ठ संख्या .....)**

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संवीक्षा हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 100/– से बढाकर रू 200/– कर दिया जाए।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

06. UFM सम्बन्धी निर्णय के मानकों पर पुनः विचार

पूर्व निर्धारित UFM के मानकों का अनुपालन करते हुये प्रकरण को निस्तारित किया जाता रहा है जिसका विवरण निम्नवत है :–

बैठक में सदस्यों ने सम्बन्धित प्रकरणों पर निर्णय के लिये विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 2002 के अध्याय 6 छात्र अनुशासन धारा 5 (xx) के अधीन ख (10) के आधार पर निम्न आधारों की अनुशंसा की :–

क्र.सं.	आधार	निर्णय
1.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित न होने पर,	जिसे (अ) से निरूपित। आरोप मुक्त।
2.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, किन्तु वह प्रयोग न किया गया हो,	जिसे (ब) से निरूपित। सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
3.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, और उसका प्रयोग किया गया हो,	जिसे (स) से निरूपित। वर्तमान सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
4.	परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की अशांति फैलाने वाले प्रकरण,	जिसे (स) से निरूपित। वर्तमान सत्र निरस्त एवं अगला सत्र प्रतिबंधित।
5.	अन्य गंभीर प्रकरणों में,	जिसे (इ) से निरूपित। सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से निरर्हित कर दिया जाय।

निर्णय में सत्र के पूर्व (परीक्षा सत्र) अंकित कराने पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या .....)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से UFM सम्बन्धी निर्णय के पूर्व निर्धारित मानकों की निम्नानुसार संस्तुति की :

क्र.सं.	आधार	निर्णय
1.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित न होने पर,	जिसे (अ) से निरूपित। आरोप मुक्त।
2.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, किन्तु वह प्रयोग न किया गया हो,	जिसे (ब) से निरूपित। सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
3.	अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, और उसका प्रयोग किया गया हो,	जिसे (स) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
4.	परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की अशांति फैलाने वाले प्रकरण,	जिसे (द) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र निरस्त एवं अगला परीक्षा सत्र प्रतिबंधित।
5.	अन्य गंभीर प्रकरणों में,	जिसे (इ) से निरूपित। सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से निरर्हित कर दिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

07. <u>परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार</u>

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन व अध्ययन केन्द्र परिवर्तन का शुल्क रू 750/है प्रायः शिक्षार्थी द्वारा केन्द्र परिवर्तन दर्शाते हुये आवेदन पत्र प्रेषित किया जाता है जिससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि शिक्षार्थी को अध्ययन केन्द्र परिवर्तन कराना है अथवा परीक्षा केन्द्र। अतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के पूर्व निर्धारित शुल्क वृद्धि पर विचार कर इस असमंजस की स्थिति से बचा जा सकता है। (संलग्नक पृष्ठ संख्या .....)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रत्येक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के लिये शुल्क रू 800/– किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

08. <u>परीक्षा समिति की 15 वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त 2013 के बिन्दु संख्या 15.05 से 15.07 तथा 15.08 के बिन्दु (ii) व (iv) में लिये गये निर्णयानुसार स्थगित परीक्षा केन्द्रों के प्रकरण पर पुनः विचार</u>

परीक्षा समिति की 15 वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त 2013 के बिन्दु संख्या 15.05 से 15.07 तथा 15.08 के बिन्दु (ii) व (iv) में लिये गये निर्णयनुसार स्थगित परीक्षा केन्द्रों पर आगामी परीक्षा के दृष्टिगत पुनः विचार करना आवश्यक है जिससे परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कर परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जा सके। (संलग्नक , पृष्ठ संख्या .....)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।
विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नानुसार संस्तुति की:

1. उड़ाका दल की आख्या के आधार पर ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनको अगले एक परीक्षा सत्र तक परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से वंचित रखा गया था उनसे यदि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त हो गये है तो ऐसे केन्द्रों को चेतावनी पत्र देते हुये दोष मुक्त किया जा सकता है। शेष तीन परीक्षा केन्द्रों की दण्डात्मक कार्यवाही यथावत रखी जायेगी।
2. ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनके ऊपर उत्तर पुस्तिका विलम्ब से भेजने पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की कार्यवाही की गयी थी उनसे यदि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त हो गये है तो इन केन्द्रों को चेतावनी पत्र देते हुये दोष मुक्त किया जा सकता है।
3. ऐसे केन्द्र जिन्हे अन्य कारण से अगले दो वर्ष तक/भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लेते हुये संस्तुति की गई थी ऐसे परीक्षा केन्द्रों की दण्डात्मक कार्यवाही यथावत रखी जायेगी। (संलग्नक पृष्ठ संख्यां .....)

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

09. <u>विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षाओं में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था पर विचार</u>

वर्तमान में स्टेपल की हुई उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जा रहा है परीक्षाओं में अनियमितता रोकने व सुचिता को ध्यान में रखते हुये परीक्षाओं में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग पर विचार आवश्यक है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये संस्तुति की जिसका विवरण निम्नवत है:

1. अब तक उपलब्ध स्टेपल की हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाय उसके पश्चात सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का ही प्रयोग किया जाय।
2. सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करने के परीक्षा सत्र से "ब" उत्तर पुस्तिका का प्रयोग बन्द कर दिया जाय एवं इसका उल्लेख प्रवेश विवरणिका में भी किया जाय कि परीक्षा में केवल "अ" उत्तर पुस्तिकायें दी जायेगी कोई अनुपूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी।
3. "अ" उत्तर पुस्तिका में ही कुल 4 अतिरिक्त पृष्ठ जोड दिये जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. एक परीक्षक द्वारा सामान्य स्थिति में प्रतिदिन मुल्याकंन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या के निर्धारण पर विचार

परीक्षकों द्वारा प्रतिदिन उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या निर्धारण करना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे मूल्यांकन की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मूल्यांकन करने हेतु प्रतिदिन अधिकतम 50 पी. जी. कार्यक्रम या अधिकतम 75 यू. जी. कार्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन करने हेतु इस शर्त पर दी जाय कि परीक्षक कम से कम छः घण्टे रुक कर मुल्यांकन करे। परीक्षा समिति द्वारा एक मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम एक परीक्षा सत्र में यू. जी. कार्यक्रम की अधिकतम 500 व पी. जी. कार्यक्रम की अधिकतम 400 उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन हेतु देने की संस्तुति की गयी।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुयी :–

(i) चरित्र प्रमाण पत्र सशुल्क निर्गत करने पर विचार ।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रू 50/– जमा करा कर चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

(ii) प्रवेश पत्र पर संशोधन सम्बन्धी निर्देश अंकित किये जाने पर विचार।

प्रकरण पर चर्चा करते हुये सर्वसम्मति से परीक्षा समिति ने संस्तुति की कि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसका निस्तारण तत्काल करा लिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.17

MCA अथवा MJ कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेशित शिक्षार्थियों द्वारा प्रथम दो सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त अग्रतर अध्ययन छोड़ देने पर क्रमशः PGDCA अथवा PGDJMC कार्यक्रमों के अंक पत्र/डिप्लोमा निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित MCA अथवा MJ कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेशित कतिपय शिक्षार्थियों द्वारा प्रथम दो सेमेस्टर की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त अध्ययन छोड़ दिया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा क्रमशः PGDCA अथवा PGDJMC के अंकपत्र के साथ सम्बन्धित डिप्लोमा (उपाधि) की मांग की जाती है। उल्लेखनीय है कि MCA अथवा MJ के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र क्रमशः PGDCA अथवा PGDJMC के पाठ्यक्रम/प्रश्नपत्र के पूर्णतया समतुल्य हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए मा. कुलपति जी ने छात्र हित में सम्बन्धित शिक्षार्थियों का अंक पत्र/डिप्लोमा निर्गत किये जाने की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने MCA अथवा MJ कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेशित शिक्षार्थियों द्वारा प्रथम दो सेमेस्टर की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त अग्रतर अध्ययन छोड़ देने पर क्रमशः PGDCA अथवा PGDJMC कार्यक्रमों के अंक पत्र/डिप्लोमा निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.18

जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों के क्रमशः UGZY-03 और UGBY-03 प्रश्नपत्रों के प्रयोगात्मक से सम्बन्धित होने के कारण इन प्रश्न पत्रों में अधिन्यास व्यवस्था समाप्त किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना

जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों के क्रमशः UGZY-03 और UGBY-03 प्रश्नपत्रों में अधिन्यास व्यवस्था प्रचलित थी जबकि ये प्रश्न पत्र पूर्णतया प्रायोगिक कार्य से सम्बन्धित हैं। इस विसंगति को दूर करने हेतु पूर्व मा. कुलपति प्रो. ए.के. बख्शी द्वारा बाह्य विशेषज्ञों को सम्मिलित

करते हुए एक समिति गठित की गयी थी। गठित समिति के बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या .... पर उपलब्ध है। समिति की अनुशंसा के दृष्टिगत पूर्व मा. कुलपति प्रो. बख्शी जी द्वारा इन प्रश्न पत्रों के प्रायोगिक से सम्बन्धित होने के कारण इनमें अधिन्यास लिखने की व्यवस्था समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय में सम्बन्धित विभागों/अनुभागों को अवगत कराया जा चुका है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों के क्रमशः UGZY-03 और UGBY-03 प्रश्नपत्रों के प्रयोगात्मक से सम्बन्धित होने के कारण इन प्रश्न पत्रों में अधिन्यास व्यवस्था समाप्त किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.19</u>

<u>B.Sc. कार्यक्रम हेतु चयनित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) से इतर उसी विषय के अन्य पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) का अध्ययन कर सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट पूर्ण करने के उपरान्त अंक पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित B.Sc. कार्यक्रम में प्रवेशित कतिपय शिक्षार्थियों द्वारा चयनित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) से इतर उसी विषय में अन्य पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) का अध्ययन कर सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट पूर्ण करने के उपरान्त अंक पत्र/उपाधि की माँग की जाती रही है। किसी प्रकार की विवाद की स्थिति के उत्पन्न न होने एवं छात्र हित के दृष्टिगत पूर्व मा. कुलपति प्रो. ए.के. बख्शी जी द्वारा ऐसे सभी शिक्षार्थियों को B.Sc. कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट पूर्ण कर लिये जाने की स्थिति में अंक पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया था तथा तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है लेकिन प्रस्ताव है कि ऐसे प्रकरणों पर रोक कैसे लगायी जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् B.Sc. कार्यक्रम हेतु चयनित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) से इतर उसी विषय के अन्य पाठ्यक्रम (प्रश्न पत्र) का अध्ययन कर सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु आवश्यक क्रेडिट पूर्ण

करने के उपरान्त अंक पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई एवं भविष्य में सूचना विवरणिका में वर्णित संयुक्तियों के अनुरूप ही प्रवेश लिये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 34.20

PGDCA कार्यक्रम उत्तीर्ण शिक्षार्थी श्री गंगेश कुमार द्वारा Lateral Entry के आधार पर MCA कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेशोपरान्त MCA कार्यक्रम पूर्ण करने पर 8वें दीक्षान्त समारोह में कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के परास्नातक कार्यक्रम से सम्बन्धित स्वर्ण प्रदक अन्य शिक्षार्थी श्रीमती प्रियंका राय को दिये जाने पर की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में विचार

श्री गंगेश कुमार PGDCA कार्यक्रम जून 2011 की परीक्षा में नामांकन संख्या 020055010018 से 76.25 प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण करने के उपरान्त सत्र 2011–12 में MCA कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में Lateral Entry के आधार पर प्रवेश लिया था तथा MCA कार्यक्रम हेतु उन्हें नामांकन संख्या 120057030001 आबंटित किया गया था। श्री गंगेश कुमार द्वारा MCA कार्यक्रम जून 2013 की परीक्षा में 75.47 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए पूर्ण किया गया।

2. श्रीमती प्रियंका राय ने 3 वर्षीय MCA कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में सत्र 2010–11 में प्रवेश लेने के उपरान्त जून 2013 की परीक्षा में इस कार्यक्रम को 75.72 प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण किया गया।

3. 8वें दीक्षांत समारोह के लिए MCA कार्यक्रम हेतु स्वर्ण पदक का निर्धारण करते समय स्वर्ण पदक निर्धारण समिति ने श्री गंगेश कुमार के MCA कार्यक्रम में Lateral Entry के आधार पर द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने के कारण उनके द्वारा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्राप्त अंकों के आधार पर विचार किया था। श्री गंगेश कुमार द्वारा यह शिकायत की गयी है कि उनके PGDCA कार्यक्रम, जो MCA कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के सभी पाठ्यक्रमों/प्रश्नपत्रों के ही समतुल्य है, में प्राप्त अंकों को भी जोड़ते हुए स्वर्ण पदक का निर्धारण किया जाय। उल्लेखनीय है कि PGDCA कार्यक्रम में प्राप्त अंकों एवं एम.सी.ए. कार्यक्रम (Lateral Entry) के द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्राप्त अंकों को जोड़ने पर श्री गंगेश कुमार का अंक 75.75 प्रतिशत होगा। लेकिन स्वर्ण पदक निर्धारण समिति द्वारा MCA (त्रिवर्षीय) व MCA (Lateral Entry) कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय नियमानुसार सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी के नाम की कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा के परास्नातक स्वर्ण पदक हेतु संस्तुत की गयी थी जिसके आधार पर श्रीमती प्रियंका राय को सन्दर्भित दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण पदक दिया जा चुका है। श्री गंगेश कुमार द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है तथा इस आशय की शिकायत उनके द्वारा मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली में भी की गयी है जिसके परिप्रेक्ष्य में मा. आयोग से दिनाँक 11–04–2014 का प्राप्त पत्र संज्ञानार्थ प्रस्तुत है (संलग्नक पृष्ठ संख्या .....) । इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में मा. कुलपति जी के आदेश से मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय द्वारा दिनाँक 18–07–2014 को उत्तर प्रेषित किया जा

चुका है (संलग्नक : पृष्ठ संख्या .....)। उल्लेखनीय है कि Lateral Entry से सम्बन्धित कार्यक्रमों हेतु स्वर्ण पदक निर्धारण की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित एम.सी.ए. कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी के तीनों वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत तथा एम.सी.ए. Lateral Entry कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी के दोनों वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत की तुलना के आधार पर सर्वाधित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण शिक्षार्थी को कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा का परास्नातक स्वर्ण प्रदक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.21

DOEACC Society द्वारा संचालित 'ए' लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में Lateral Entry के माध्यम से सीधे एम.सी.ए. के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने पर विचार।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने DOEACC Society द्वारा संचालित 'ए' लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को Lateral Entry के माध्यम से एम.सी.ए. कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने हेतु नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित के अनुसार समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया :–

1	डॉ. एस. पी गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	–	संयोजक
2	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन वि.शा. उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	–	सदस्य
3	प्रो. के.के. भूटानी, निदेशक, निदेशक, UPTECH, इलाहाबाद	–	सदस्य
4.	कम्प्यूटर क्षेत्र में भिज्ञ मा. कुलपति जी द्वारा नामित व्यक्ति	–	सदस्य

कार्य सूची बिन्दु संख्या 34.21

स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत न्यूट्रीशन फूड एवं डायटेटिक्स विषय में M.Sc कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत न्यूट्रीशन फूड एवं डायटेटिक्स विषय में M.Sc कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ. (ए.के. सिंह)
कुलसचिव

5 संलग्नक - 02

माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एकल विषय कार्यक्रम के अध्यादेश निर्माण हेतु गठित समिति की आख्या

उपस्थित सदस्यः—

1. डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाजविज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. डॉ. पी.पी. दूबे, कृषि विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. डॉ. आर.पी.एस. यादव, प्रभारी, मानविकी विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में कला तथा विज्ञान विषयों में एकल विषय कार्यक्रम के अध्यादेशों के प्रारूप पर विचार किया। समिति का मत है कि सभी विषयों के लिए एकल विषय कार्यक्रम के लिए एकरूपता का यथासम्भव पालन किया जाए। विचारविमर्श के उपरान्त कला के सभी विषयों के एकल विषय कार्यक्रम हेतु संलग्नक एक के अनुसार अध्यादेशों के प्रारूप को एवं विज्ञान के सभी विषयों के एकल विषय कार्यक्रम हेतु संलग्नक दो के अनुसार अध्यादेशों के प्रारूप को सर्वसम्मति से संस्तुत किया गया।

3.9.2014
(प्रो0 एस.पी. गुप्ता)

3.9.14
(डॉ. एम.एन. सिंह)

03/09/14
(डॉ. ओमजी गुप्ता)

(डॉ. पी.पी. दूबे)

3.9.14
(डॉ. आर.पी.एस. यादव)

कुलसचिव, वांछित आख्या प्रस्तुत है

कुलसचिव / मा. कुलपति जी कृपया अनुमोदन करना चाहेंगे 06.09.2014 06.9.14

5439 5/9/14

श्री राजेन्द्र सिंह 04.09.14

60

Ordinances for Single Subject Bachelor of Arts Programme

PROGRAMME DETAILS

1. **Programme Name** : Single Subject Bachelor of Arts Programme
2. **Programme Duration** : **Minimum** - 2 Years **Maximum** - 4 Years
3. **Re-registration** – Only for one year after four years. A student has to complete his/her programme within five years from the date of admission

ADMISSION PROCESS

4. **Eligibility for admission** : 10+2+3 (with Arts stream) Pass Applicants
5. **Admission Procedure** : Open
6. **Reservation** : As per U.P. Government Rules, however there is no seat limit
7. **Medium** : Hindi only
8. **Counselling Class:** Maximum number of learners in a counselling class will be 60.

PROGRAMME STRUCTURE

9. **Course Design:** A candidate has to choose any one subject out of the subjects being available for the three years Bachelor of Arts Programme of the university. He/she will complete 6 theory papers of 48 credits, 24 credits in first year and 24 credits in second year, in all in Single Subject Bachelor of Arts Programme of his/her chosen subject as below:

YEAR	First Year	Second Year	Total
PAPERS	3 Papers	3 Papers	6 Papers
CREDITS	24	24	48

Each paper will be of 100 marks, 30% and 70% weightage will be given to internal assessment and terminal examination respectively

10. **SLM** : Already developed by the UPRTOU, Allahabad

EXAMINATION

11. The same pattern of examination for Internal Assessment as well as for external examination will be followed as being followed for the Bachelor of Arts Programme of the University for the said subject.

12. **Passing Marks and Division:** 36% marks separately in Internal and External Assessments of each paper will be required to pass that particular paper. After passing all the six papers successfully , the candidate will be declared pass in the Single subject Bachelor of Arts Programme and will be awarded division as below:

I Division - 60% or Above of the aggregates marks.
II Division - 48% or above but below 60% of the aggregates marks.
III Division - 36% or above but below 48% of the aggregates marks.

3/9/2014 03/09/14 3.9.14 3.9.14

Ordinances for Single Subject Bachelor of Science Programme

PROGRAMME DETAILS

1. **Programme Name** : Single subject Bachelor of Science Programme
2. **Programme Duration** : **Minimum** - 2 Years **Maximum** - 4 Years
3. **Re-registration** – Only for one year after four years. A student has to complete his/her programme within five years from the date of admission

ADMISSION PROCESS

4. **Eligibility for admission** : 10+2+3 (with science stream) Pass Applicants
5. **Admission Procedure** : Open
6. **Reservation** : As per U.P. Government Rules, however there is no seat limit
7. **Medium** : English / Hindi
8. **Counselling Class**: Maximum number of candidates in a counselling class will be 60.

PROGRAMME STRUCTURE

9. **Course Design**: A candidate has to choose any one subject out of the subjects being available for the three years Bachelor of Science Programme of the university. He will complete a minimum of three papers of 24 credits in first year and a minimum of three papers of 24 credits in second year in all in Single subject Bachelor of Science Programme of his/her chosen subject as below:

YEAR	First Year	Second Year	Total
PAPERS	Minimum 3 Papers	Minimum 3 Papers	Minimum 6 Papers
CREDITS	24	24	48

Each paper will be of 100 marks.

10. SLM : Already developed by the UPRTOU, Allahabad

EXAMINATION

11. The same pattern of examination for Internal Assessment, Practical Examination and external examination will be followed as being followed for the Bachelor of Science Programme of the university for the said subject.

12. **Passing Marks and Division:** 36% marks separately in Internal and External assessments of each paper will be required to pass that particular paper. After passing all the six papers successfully , the candidate will be declared pass in the Single subject Bachelor of Science Programme and will be awarded division as below:

    I Division - 60% or Above of the aggregates marks.
    II Division - 48% or above but below 60% of the aggregates marks.
    III Division - 36% or above but below 48% of the aggregates marks.

3/9/2014 03/09/14 3.9.14 3.9.14

संलग्नक - 03

माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि के प्रारूप में परिवर्तन हेतु पत्राँक संख्या ओ.यू./462/2014 दिनाँक 02-07-2014 द्वारा गठित समिति की आख्या

उपस्थित सदस्यः-

1. डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. डॉ. पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विद्या शाखा, विशेष आमंत्रित सदस्य उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. डॉ. पी.के. पाण्डेय, उप निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. डॉ. मुकेश कुमार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में उपाधि एवं अंकपत्र के अनेक प्रारूपों पर विचार किया। समिति का मत है कि उपाधि एवं अंकपत्रों में सभी कार्यक्रमों के लिए एकरूपता का यथासम्भव पालन किया जाए एवं तदनुसार संलग्न प्रारूपों को संस्तुत किया। समिति ने उपाधि में निम्न security measures को अपनाने की संस्तुति भी की।

(i) उपाधि पर पृष्ठभूमि में वाटरमार्क के रूप में विश्वविद्यालय का मोनोग्राम दिया जाये।

(ii) उपाधि पर होलोग्राम लगाया जाये।

(iii) उपाधि की रंगीन फोटोकापी की सम्भावना को समाप्त करने के लिए photo-state प्रति पर photo-state मुद्रित होने का प्रावधान किया जाये।

(iv) परीक्षा अनुभाग में शिक्षार्थियों के छायाचित्रों की digital उपलब्धता के आधार पर चरणशः उपाधि व अंकपत्रों पर छायाचित्रों को मुद्रित किया जाये।

4/9/2014 (प्रो0 एस.पी. गुप्ता) | 04/09/14 (डॉ. ओमजी गुप्ता) | (डॉ. पी.पी. दूबे)

(डॉ. पी.के. पाण्डेय) | 04/09/14 (डॉ. मुकेश कुमार)

कुलसचिव, वांछित आज्ञा प्रस्तुत है

4/9/2014

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शैक्षणिक कार्यक्रम

क्र. स.	कार्यक्रम का नाम	Name of the Programme
1	स्नातक कला	Bachelor of Arts
2	स्नातक वाणिज्य	Bachelor of Commerce
3	स्नातक विज्ञान	Bachelor of Science
4	पर्यटन में स्नातक	Bachelor in Tourism
5	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक	Bachelor of Library and information Science
6	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक	Bachelor of Computer Application
7	व्यवसाय प्रशासन में स्नातक	Bachelor of Business Administration
8	शिक्षा स्नातक	Bachelor of Education
9	शिक्षा स्नातक (विशिष्ट शिक्षा)	Bachelor of Education (Special Education)
10	हिन्दी में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in Hindi
11	अंग्रेजी में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in English
12	इतिहास में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in History
13	समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in Sociology
14	राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in Political Science
15	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in Economics
16	शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in Education
17	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in Statistics
18	दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in Philosophy
19	संस्कृत में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in Sanskrit
20	समाज कार्य में स्नातकोत्तर कला	Master of Arts in Social Work
21	विज्ञान में स्नातकोत्तर	Master of Science
22	वाणिज्य में स्नातकोत्तर	Master of Commerce
23	कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर	Master of Computer Science
24	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर	Master of Computer Applications
25	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर	Master of Journalism
26	व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर	Master of Business Administration
27	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर	Master of Library and Information Science
28	वित्तीय प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Financial Management
29	अन्तर्राष्ट्रीय मार्केटिंग एवं ई– बिजनेस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Gradutate Diploma in Internatioal Marketing and E-Business
30	फलों एवं सब्जियों के मूल्य सवंर्धित उत्पादों में डिप्लोमा	Diploma in Value Added Products from Fruits and Vegetables
31	मानव संसाधन विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Human Resource Development
32	समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Social Work
33	पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Gradutate Diploma in Journalism and Mass Communication
34	शिक्षा प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Educational Adminstration
35	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma. in Computer Application
36	अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Translation

64

4/9/2014 4/9/14

37	प्रयोजनमूलक हिन्दी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Functional Hindi
38	हिन्दी में रचनात्मक लेखन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Creative Writing in Hindi
39	ग्रामीण पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Rural Journalism and Mass Communication
40	व्यवसायिक निर्देशन एवं कॅरियर परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Vocational Guidance and Career Counselling
41	इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रबन्धन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Electronic Media Management and Film Production
42	विशिष्ट शिक्षा में संव्यावसायिक परास्नातक डिप्लोमा	Post Graduate Professional Diploma in Special Education
43	फोटोग्राफी में डिप्लोमा	Diploma in Photography
44	ज्योर्ति विज्ञान में डिप्लोमा	Diploma in Jyotrivigyan
45	ग्रामीण विकास में डिप्लोमा	Diploma in Rural Development
46	स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण में डिप्लोमा	Diploma in Health Education and Nutrition
47	कार्यालय प्रबन्धन में कम्प्यूटर में डिप्लोमा	Diploma in Computer Office Management
48	दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Distance Education
49	विपणन प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	Post Graduate Diploma in Marketing Management
50	डेरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा	Diploma in Dairy Technology
51	प्रारम्भिक बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा में डिप्लोमा	Diploma in Early Childhood Care and Education
52	संस्कृत में डिप्लोमा	Diploma in Sanskrit
53	पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा	Diploma in Tourism Studies
54	हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा	Diploma in Hardware Technology
55	टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा	Diploma in Textile Designing
56	फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा	Diploma in Fashion Designing
57	कम्प्यूटर में बेसिक डिप्लोमा	Basic Diploma in Computer
58	डायटेटिक्स एवं न्यूट्रीशन में डिप्लोमा	Diploma in Dietetics and Nutrition
59	आपदा प्रबन्धन में प्रमाण – पत्र	Certificate in Disaster Management
60	उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण – पत्र	Certificate in Consumer Protection
61	एच0 आई0 वी0 एवं परिवार शिक्षा में प्रमाण – पत्र	Certificate in HIV and Family Education
62	शिशु पालन एवं पोषण में प्रमाण – पत्र	Certificate in Child Care and Nutrition
63	योग में प्रमाण – पत्र	Certificate Course in Yoga
64	शोध विधि में प्रमाण – पत्र	Certificate in Research Method
65	संस्कृत में प्रमाण – पत्र	Certificate in Sanskrit
66	महिला सशक्तिकरण एवं विकास में प्रमाण – पत्र	Certificate in Women Empowerment and Development
67	शैक्षिक मापन में प्रमाण – पत्र	Certificate in Education Testing
68	ग्रामीण पत्रकारिता एवं जनसंचार में प्रमाण – पत्र	Certificate in Rural Journalism and Mass Communication
69	जनसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण – पत्र	Certificate Course in Communication & Information Technology
70	मानवाधिकार में प्रमाण – पत्र	Certificate in Human Rights
71	कम्प्यूटर कोर्स में प्रमाण – पत्र	Certificate in Computer Course
72	कराधान और निर्यात – आयात प्रबन्धन में प्रमाण – पत्र	Certificate in Taxation and Export-Import Management
73	पर्यटन अध्ययन में प्रमाण – पत्र	Certificate in Tourism Studies

65

Draft

U.P RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY
ALLAHABAD

STATEMENT OF MARKS

ENROLLMENT NO. : 125062140001

SESSION : 2011-2012

NAME OF CANDIDATE (ENGLISH): SUSHIL KUMAR

UPTO TERM-END EXAM : DEC 2008

NAME OF CANDIDATE (HINDI) : सुशील कुमार

FATHER'S NAME/MOTHER'S NAME/ HUSBAND'S NAME : RAM PRAKASH

STUDY CENTRE : HEERALAL YADAV BALIKA DEGREE COLLEGE, LUCKNOW

PROGRAMME : MASTER OF COMMERCE (M.Com)

PAPER CODE	PAPER TITLE	MARKS OBTAINED: TERM END EXAM	SESSIONAL/ ASSIGNMENT	TERMINAL	TOTAL	Paper STATUS
MCOM-01	PRABANDHKIYA LEKHANKAN	JUNE 2012	28	54	82	SC
MCOM-02	VYAVASAYIK PARYAVARAN	JUNE 2012	28	45	73	SC
MCOM-03	PRABANDH SIDDHANT EVAM PARYAVARAN	JUNE 2012	28	44	72	SC
MCOM-04	VYAVASAYIK SANKHYIKI	JUNE 2012	28	53	81	SC
MCOM-05	VITTIYA PRABANDHAN	JUNE 2012	28	47	75	SC
MCOM-06	SANCHAR KAUSHAL EVAM SHODH VIDHI	JUNE 2013	26	49	75	SC
MCOM-07	MANAV SANSADHAN PRABANDHAN	JUNE 2013	12	47	59	SC
MCOM-08	VIPNAN PRABANDHAN	JUNE 2013	11	56	67	SC
MCOM-09	UDMIYTA EVAM LAGHU UDYOG PRABANDHAN	JUNE 2013	14	40	54	SC
MCOM-10	PRABANDHKIYA ARTHSHASHTRA	JUNE 2013	13	50	63	SC

Programme Status - PASSED IN FIRST DIVISION GRAND TOTAL 701 / 1000

A STUDENT HAS TO PASS BOTH IN ASSIGNMENT AND TERMINAL INDIVIDUALLY
ASSIGNMENT: (MAX 30, MIN 11), TERMINAL: (MAX 70, MIN 25), TOTAL:(MAX 100, MIN 36)
SC - SUCCESSFULLY COMPLETED
NC - NOT COMPLETED, ABS - ABSENT
xxxx - NOT SUBMITTED/ABSENT/RESULT LATER AS THE CASE MAY BE
- NOT APPLICABLE

Dated : 03/09/14 Prepared by Checked by Verified by Controller of Examina

U.P RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY
ALLAHABAD

STATEMENT OF MARKS

ENROLLMENT NO. :	125062140001	SESSION : 2011-2012
NAME OF CANDIDATE (ENGLISH):	SUSHIL KUMAR	UPTO TERM-END EXAM : DEC 2008
NAME OF CANDIDATE (HINDI) :	सुशील कुमार	
FATHER'S NAME/MOTHER'S NAME/ HUSBAND'S NAME :	RAM PRAKASH	
STUDY CENTRE	HEERALAL YADAV BALIKA DEGREE COLLEGE, LUCKNOW	

PROGRAMME : MASTER OF COMMERCE (M.Com)

PAPER CODE	PAPER TITLE	MARKS OBTAINED				
		TERM END EXAM	SESSIONAL/ ASSIGNMENT	TERMINAL	TOTAL	Paper STATUS
MCOM-01	PRABANDHKIYA LEKHANKAN	JUNE 2012	28	ABS	28	NC
MCOM-02	VYAVASAYIK PARYAVARAN	JUNE 2012	28	45	73	SC
MCOM-03	PRABANDH SIDDHANT EVAM PARYAVARAN	JUNE 2012	28	44	72	SC
MCOM-04	VYAVASAYIK SANKHYIKI	JUNE 2012	28	53	81	SC
MCOM-05	VITTIYA PRABANDHAN	JUNE 2012	28	47	75	SC
MCOM-06	SANCHAR KAUSHAL EVAM SHODH VIDHI	JUNE 2013	26	49	75	SC
MCOM-07	MANAV SANSADHAN PRABANDHAN	JUNE 2013	12	47	59	SC
MCOM-08	VIPNAN PRABANDHAN	JUNE 2013	11	56	67	SC
MCOM-09	UDMIYTA EVAM LAGHU UDYOG PRABANDHAN	JUNE 2013	14	40	54	SC
MCOM-10	PRABANDHKIYA ARTHSHASHTRA	JUNE 2013	13	50	63	SC

Programme Status - INCOMPLETE GRAND TOTAL 647

A STUDENT HAS TO PASS BOTH IN ASSIGNMENT AND TERMINAL INDIVIDUALLY
ASSIGNMENT: (MAX 30, MIN 11), TERMINAL: (MAX 70, MIN 25), TOTAL:(MAX 100, MIN 36)
SC - SUCCESSFULLY COMPLETED
NC - NOT COMPLETED, ABS - ABSENT
xxxx - NOT SUBMITTED/ABSENT/RESULT LATER AS THE CASE MAY BE
- NOT APPLICABLE

Dated : 03/09/14 Prepared by Checked by Verified by Controller of Examination

A-3 Size

क्रमांक 00002

Enrollment No. 140000000001

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University

कला स्नातक

Bachelor of Arts

प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारित अध्ययन क्रम पूरा करने तथा जून 2014 की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरान्त

रवीना रानी वर्मा

को कला स्नातक की उपाधि. द्वितीय श्रेणी में प्रदान की गयी है।

This is to certify that after completing prescribed courses and passing the examination thereof successfully in June 2014

Ravina Rani Verma

is awarded the degree of Bachelor of Arts in Second Division.

Date:

Place: Allahabad

140000000001

कुलपति

Vice-Chancellor

क्रमांक 00002 Enrollment No. 140000000001

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University

Photo

कला स्नातक

Bachelor of Arts

प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारित अध्ययन क्रम पूरा करने तथा जून 2014 की परीक्षा सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरान्त

रवीना रानी वर्मा

को कला स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्रदान की गयी है।

This is to certify that after completing prescribed courses and passing that examination there of successfully in June 2014

Ravina Rani Verma

is awarded the degree of Bachelor of Arts in Second Division

Date
Allahabad

कुलपति
Vice-Chancellor

Date - 28-10-14

(७३)

संलग्नक-04

विश्वविद्यालय की उपाधि के मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रण के दृष्टिगत आवश्यक विशेषताओं (पेपर/डिजाइनिंग आदि) के निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय की गठित निविदा समिति की बैठक आज दि० - 28.10.14 को अपरान्ह 3:00 बजे कुलसचिव कक्ष में आहूत की गयी। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत है-

1. डा० एस० पी० गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा —
2. डा० ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्र० अ० विद्याशाखा
3. डा० आर० पी० एस० यादव, एसो० प्रो०, मानविकी विद्याशाखा
4. डा० (श्रीमती) मीरा पाल, असि० प्रो०, स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा
5. डा० पी० के० द्विवेदी, असि० प्रो०, शिक्षा विद्याशाखा —
6. वित्त अधिकारी
7. कुलसचिव 28-10-14
8. डा० पी० पी० दुबे, परीक्षा नियंत्रक (विशेष आमंत्रित)
9. श्रीमती रीता सिंह, प्रोग्रामर (" ")
10. श्री नीरज मिश्र, तकनीकी अधिकारी (" ")
11. डा० मुकेश कुमार, असि० प्रो० शिक्षा विद्याशाखा (" ") 28.X.14

समिति ने विचारोपरान्त निम्नवत विशेषताओं की उपाधि मुद्रण करने की संस्तुति की-

(i) West Coast Paper - 185GSM अथवा 200GSM, A3 Size
(ii) सुन्दर बार्डर, पेपर की पृष्ठभूमि में विश्वविद्यालय का मोनोग्राम
(iii) उपाधि के पूरे पेज पर छोटे छोटे आकार में UPRTOU (Golden Color में) लिखा हो
(iv) वाटर मार्क
(v) Photostate Normaly Invisible (स्कैन प्रूफ)

28/10/14 28/10/14 28/10/14

28.10.14 28/10/14 28.10.14

28/X/14 28.10.14

CHAPTER XV

Revised Ordinances

RESEARCH DEGREE PROGRAMME AND CONSTITUTION OF COMMITTEE

{(Under Stature 9.01(5)}

Existing Provision	Proposed Provision	Comment
A. Management and Co-Ordination (1) The Degree of Master of Philosophy (M.Phil.) and the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D..) or such other degree may be awarded by the University to a-registered student on his/her successfully completing the prescribed programme of research offered by the university. (2) Research studies leading to the award of the Degree of Master of philosophy (M.Phil.) or Doctor of Philosophy (Ph.D.) or such other degree shall be organized and managed by the following bodies in accordance with their respective roles as specified here under. (3) The Research degree programmes of the University shall be in accordance with the Research Policy adopted by the Academic Council subject to the provisions of the Act and the Statutes of the University.	**A. Management and Co-Ordination** (1) The Degree of Master of Philosophy (M.Phil.) and the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D..) or such other degree may be awarded by the University to a registered student on his/her successfully completing the prescribed programme of research offered by the university. (2) Research studies leading to the award of the Degree of Master of philosophy (M.Phil.) or Doctor of Philosophy (Ph.D.) or such other degree shall be organized and managed by the following bodies in accordance with their respective roles as specified here under. (3) The Research degree programmes of the University shall be in accordance with the Research Policy adopted by the Academic Council subject to the provisions of the Act and the Statutes of the University.	No Change

संलग्नक-05

B. Research Degree Committee (1) There shall be a Research Degree Committee which subject to the overall guidance and supervision of the Academic Council, shall be responsible for the planning, management, organization and monitoring of Research programmes. (2) Subject to the provisions of the Act and Statutes, the Research Degree Committee shall perform the following functions. (i) Management and administration of the research policy, programme design, evaluation and awards of research degrees. (ii) Formulation of guidelines for registration, supervision, programme design, evaluation and awards of research degrees. (iii) Monitoring of research indicators for such evaluation. (iv) Determination of the criteria for purview of the research areas/themes/topics relevant to the School Board.	**B. Research Degree Committee** (1) There shall be a Research Degree Committee which subject to the overall guidance and supervision of the Academic Council shall be responsible for the planning, management, organization and monitoring of Research programmes. (2) Subject to the provisions of the Act and Statutes, the Research Degree Committee shall perform the following functions. (i) Management and administration of the research policy, programme design, evaluation and awards of research degrees. (ii) Formulation of guidelines for registration, supervision, programme design, evaluation and awards of research degrees. (iii) Monitoring of research indicators for such evaluation. (iv) Determination of the criteria for purview of the research areas/themes/topics relevant to the School Board.	No Change

72

(v) Advice on research priorities and allocation of resources for research. (vi) Preparation of the consolidated reports on research efforts of the university. (vii) Any other work related to research development and co-ordination. (3) The composition of Research Degree Committee shall be as follows. (i) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Research Degree committee. (ii) Two experts of the subject Concerned who are not employees of the University, nominated by Vice-Chancellor. (iii) One representative each of the Planning Board and the Academic Council nominated by the Vice-Chancellor. (iv) The Director of School Concerned nominated by the Vice- Chancellor. (v) Officer in charge for Research	(v) Advice on research priorities and allocation of resources for research (vi) Preparation of the consolidated reports on research efforts of the university. (vii) Any other work related to research development and co-ordination. (3) The composition of Research Degree Committee shall be as follows. (i) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Research Degree committee. (ii) One expert of the subject Concerned who is not employee of the University, nominated by Vice-Chancellor. (iii) The Director of School Concerned nominated by the Vice-Chancellor. (iv) Officer in charge for Research Development and Coordination shall be the Member Secretary of the Research Council.	

Development and Coordination shall be the Member Secretary of the Research Council. (4) The term of the members will be three years from the date of nomination. (5) The Research Degree Committee shall meet at least twice a year. One third of the total membership shall from the Quorum for the meeting.	(4) The term of the members will be two years from the date of nomination. (5) The Research Degree Committee shall meet at least twice a year. One third of the total membership shall from the Quorum for the meeting.	
C. Registration and Supervision. (1) The process and schedule of registration shall be prepared and announced by the University in accordance with the guidelines given by the Research Degree Committee from time to time. (2) A candidate who has qualified for the award of the Master's Degree of any University or any other qualification recognized as equivalent thereto in such fields of study as notified for this purpose from time to time by the University will be eligible to register for M.Phil / Ph.D. programmes	**C. Registration and Supervision.** (1) The registration for the M.Phil & Ph.D Programme should be made through an entrance test conducted by the university should be followed by an interview organized by the concerned school of studies. The process and schedule of registration shall be prepared and announced by the University in accordance with the guidelines given by the Research Degree Committee from time to time. (2) A candidate who has qualified for the award of the Master's Degree of any University or any other qualification recognized as equivalent thereto in such	

provided he/she has secured at least 55% marks (50% in the case of SC/ST candidates) or a grade equivalent thereto, at examinations leading to such a degree/qualification. (3) There shall be two categories of M.Phil/Ph.D. student: Full-time and Part-time. (a) All those who are offered a fellowship by the University or any other agency and registered with the University to pursue a research degree programme of the University on a full time basis shall belong to the category of full-time students. In exceptional cases, the Research Committee may allow registration of full time students who do not have fellowships. The full-time students shall work on their projects either at Allahabad or at any other research Centers recognized by the University. (b) Students who are employed in any organization and desirous of pursuing a research degree programme may be permitted to register as part-time students. Ordinarily, teachers and other	fields of study as notified for this purpose from time to time by the University will be eligible to register for M.Phil/Ph.D. programmes provided he/she has secured at least 55% marks (50% in the case of SC/ST candidates) or a grade equivalent thereto, at examinations leading to such a degree/qualification. (3) There shall be two categories of M.Phil/Ph.D. student: Full-time and Part-time. (a) All those who are offered a fellowship by the University or any other agency and registered with the University to pursue a research degree programme of the University on a full time basis shall belong to the category of full-time students. In exceptional cases, the Research Committee may allow registration of full time students who do not have fellowships. The full-time students shall work on their projects either at Allahabad or at any other research Centers recognized by the University. (b) Students who are employed in any organization and desirous of pursuing	

academic staff of the University while continuing on their jobs shall belong to this category. Other employees of the University may also be considered by the Research Degree Committee for registration to the M.Phil/Ph.D. programme.	a research degree programme may be permitted to register as part-time students. Ordinarily, teachers and other academic staff of the University while continuing on their jobs shall belong to this category. Other employees of the University may also be considered by the Research Degree Committee for registration to the M.Phil/Ph.D. programme.	
(4) All registrations to M.Phil/Ph.D. Programmes shall be provisional and the same shall be confirmed according to the procedures prescribed by the Research Degree Committee from time to time.	(4) All registrations to M.Phil / Ph.D. Programmes shall be provisional and the same shall be confirmed according to the procedures prescribed by the Research Degree Committee from time to time.	
(5) A Candidate, who has been offered registration, shall deposit the prescribed registration fee within a period of three months from the date of registration, failing which his/her registration may be treated as cancelled. However, under special circumstances, extension up to one year may be given.	(5) A Candidate, who has been offered registration, shall deposit the prescribed registration fee within a period of three months from the date of registration, failing which his/her registration may be treated as cancelled. However, under special circumstances, extension up to one year may be given.	
(6) The registration of a student may be cancelled for any of the following reasons.	(6) The registration of a student may be cancelled for any of the following reasons.	

97

(i) Non-payment of fees. (ii) Unsatisfactory progress (iii) Non-compliance with the provisions of the ordinances (iv) Failure to submit the Dissertation/Thesis within the time limit prescribed. (7) The Research Degree committee may consider requests for re-registration from students whose registration is cancelled. An application for re-registration, if made within a period not exceeding one year from the cancellation of the student's registration, may be considered only on the recommendation of the Director concerned. (8) The programme fees shall include registration fee, fee for the course work, evaluation fee and any other fees prescribed by the University from time to time, and shall always be charged on annual basis.	1. Non-payment of fees. 2. Unsatisfactory progress 3. Non-compliance with the provisions of the ordinances 4. Failure to submit the Dissertation/Thesis within the time limit prescribed. (7) The Research Degree committee may consider requests for re-registration from students whose registration is cancelled. An application for re-registration, if made within a period not exceeding one year from the cancellation of the student's registration, may be considered only on the recommendation of the Director concerned. (8) The programme fees shall include registration fee, fee for the course work, evaluation fee and any other fees prescribed by the University from time to time, and shall always be charged on annual basis.	

D. Supervision	D. Supervision	
(1) Every student registered for a research degree programme shall be required to pursue the programme under the supervisor(s) recognized by the University. Supervision/Joint Supervision for students shall be assigned by the School Board concerned in accordance with their choice from among the panel of supervision recognized by the University..	(1) The allocation of the supervisors for the Ph.D and M.Phil scholars will be decided by the Department / the School concerned in a formal manner. Every student registered for a research degree programme shall be required to pursue the programme under the supervisor recognized by the University. Supervision/Joint Supervision for students shall be assigned by the School Board concerned in accordance with the specialization among the eligible supervisors.	
(2) The School Board shall recommend to the Research Degree Committee a panel of experts to be recognized as the Research supervisors.	(2) The School Board shall recommend to the Research Degree Committee a panel of experts to be recognized as the Research supervisors.	
(3) An academic (includes teachers and other academic staff) with a Ph.D degree and with at least five years post-doctoral research and/or teaching experience shall be eligible to be recognized as a Research supervisor.	(3) An academic (includes teachers and other academic staff) of the university with a Ph.D degree and with at least five years post-doctoral research and/or teaching experience shall be eligible to be recognized as a Research supervisor. However the actively engaged retired teachers of this university may be allowed to continue as research supervisors. Moreover the eminent scholars as recognized by the university academic council	
(4) At a time, a supervisor shall not guide more than 6 research students.		

	may also be allowed to work as research supervisors by the Research Degree Committee. (4) At a time, a supervisor shall not guide more than 08(Eight) Ph.D research students and 05 (Five) M.Phil Students.	
E. Programme Design (1) The Course-work may comprise of the course related to the thrust areas of research and research methodologies. (2) The Course work shall be prescribed by the School Board Concerned. Provided also that where such course work is deemed unnecessary a prescription to that effect of exemption shall be made by the School Board concerned to be approved by the Research Degree Committee. (3) A candidate may be exempted (partially or fully) from the requirement of the course work by the concerned School Board and endorsed by the Research Degree committee. (4) The course work in all cases may be completed within one year from the date of date of registration.	**E. Programme Design** (1) The Course-work shall comprise of the course related to the thrust areas of research and research methodologies. (2) The Course work of 16 credits shall be prescribed by the School Board Concerned for Ph.D while the course work of 32 credits will be prescribed for the M.Phil Students. (3) In each theory paper of Ph.D/M.Phil course work 30% of the total marks shall be assigned for the sessional assessment while rest 70% marks will be assigned through written Examination. (4) The course work in all cases may be completed within one year from the date of registration.	79

F. Dissertation/Thesis (1) For the M.Phil. Degree, a student shall be required to submit a dissertation. The dissertation work may take any of the forms such as field work, research study or exploratory/laboratory work or such other forms on a subject approved by the School Board. (2) For Ph.D. degree, a student shall be required to submit a thesis in the format as may be prescribed by the School Board concerned. The thesis must be a piece of original research work characterized either by the discovery of new facts or invention of new ideas or a new interpretation of theories among others.	**F. Dissertation/Thesis** (1) For the M.Phil. Degree, a student shall be required to submit a dissertation. The dissertation work may take any of the forms such as field work, research study or exploratory/laboratory work or such other forms on a subject approved by the School Board. (2) For Ph.D. degree, a student shall be required to submit a thesis in the format as may be prescribed by the School Board concerned. The thesis must be a piece of original research work characterized either by the discovery of new facts or invention of new ideas or a new interpretation of theories among others	
G. Duration (1) The minimum and maximum time for completing the programme shall be 2 years to 4 years for M.Phil. and 2 years to 5 years for Ph.D. respectively, counted from the date of registration to the programme. Provided that the period may be curtailed or extended with the approval	**G. Duration** (1) The minimum and maximum time for completing the programme shall be 2 years to 4 years for M.Phil. and 2 years to 5 years for Ph.D. respectively, counted from the date of registration to the programme. Provided that the period may be curtailed or extended with the approval	

of the Vice-Chancellor. (2) If a student fails to submit the dissertation/thesis within the extended period, his/her registration shall be cancelled. (3) Commencing from the date of registration a student shall submit progress reports periodically (once in six months) in the prescribed format to the supervisor(s) who shall forward them along with his/her remarks about and assessment of the work done that far to the Research Degree Committee through the School Board concerned for review.	of the Vice-Chancellor. (2) If a student fails to submit the dissertation/thesis within the extended period, his/her registration shall be cancelled. (3) Commencing from the date of registration a student shall submit progress reports periodically (once in six months) in the prescribed format to the supervisor(s) who shall forward them along with his/her remarks about and assessment of the work done so far to the Research Degree Committee through the School Board concerned for review (4) There shall be a Programme Review Committee (PRC) in each subject which shall consist of the Director of the School concerned and the senior most teacher of the subject. However if there is no professor or associate professor of the subject, the other member will be nominated by the Vice-Chancellor from outside.	19

H. Evaluation and awards	H. Evaluation and awards	
(1) The School Board concerned shall prescribe an evaluation scheme for the course work to be done by the students. Depending on the nature of the course and the specific needs, the evaluation methodologies may include:	(1) The School Board concerned shall prescribe an evaluation scheme for the course work to be done by the students. Depending on the nature of the course and the specific needs, the evaluation methodologies may include:	
(i) Evaluation system or a comprehensive examination as applicable to the prescribed credit-based courses.	(i) Evaluation system or a comprehensive examination as applicable to the prescribed credit-based courses.	
(ii) A term paper on a theme or presentation of an assignment at a seminar.	(ii) A term paper on a theme or presentation of an assignment at a seminar.	
(iii) Oral examination	(iii) Oral examination	
(iv) Any combination of these methods	(iv) Any combination of these methods	
(2) A Student shall be deemed to have completed his/her course work successfully if he/she obtains at least 50% of the maximum score in the course work.	(2) A Student shall be deemed to have completed his/her course work successfully if he/she obtains at least 50% of the maximum score in the course work. (3) Ph.D candidates shall publish at least two research papers in a referred Journal before submission of the thesis (4) Ph.D candidates shall attend at least two seminars / workshops /conferences before submission of the thesis	

82

I. Dissetation/Thesis (1) On the successful completion of the course work, a student shall be required to pursue his research work under the guidance of his supervisor(s) at the end of which he/she shall be required to write a disseratation/thesis as the case may be in accordance with the format and the guidelines prescribed by the School Board concerned. (2) The School Board concerned shall prescribe such rules as may be necessary for acceptance/revision/rejection of dissertation/thesis for approval of the Research Degree Committee and the Executive Council.	I. Dissertation/Thesis (1) On the successful completion of the course work, a student shall be required to pursue his research work under the guidance of his supervisor(s) at the end of which he/she shall be required to write a dissertation/thesis as the case may be in accordance with the format and the guidelines prescribed by the School Board concerned. (2) Prior to the submission of the thesis, the student shall make a pre-M.Phil/ Ph D presentation in the department / school that will be open to all faculty members and research scholars for getting feedback and comments, which may be suitably incorporated in to the draft of the thesis under the advice of the supervisor. The pre-M.Phil/ Ph D presentation must be attended by the Director concerned, the supervisor and at least one teacher of the concerned subject. if there is no teacher other than the supervisor, the Vice-Chancellor may appoint a teacher of the concerned subject from outside the University. (3) The thesis produced by the M.Phil/Ph.D	

	student shall be evaluated by at least three experts including the supervisor out of which at least one shall be from outside the State of Uttar Pradesh. (4) On receipt of satisfactory evaluation reports, M.Phil/Ph.D students shall undergo a viva voice examination which shall also be openly defended.	
J. Fees (1) Students admitted to M.Phill. or Ph.D.. programme of the university shall pay the fees as determined by the Academic Council. (2) The fees shall be payable on such dates and such mode as may be notified.	**J. Fees** (1) Students admitted to M.Phil. or Ph.D. programme of the university shall pay the fees as determined by the Academic Council. (2) The fees shall be payable on such dates and such mode as may be notified.	
K. Award of M.Phil./Ph.D., Degree As students shall be awarded the M.Phil/Ph.D. Degree, with the approval of the Academic Council.	**K. Award of M.Phil./Ph.D.. Degree** As students shall be awarded the M.Phil/Ph.D. Degree, with the approval of the Academic Council.	
	L. Depository with UGC (1) Following the successful completion of	New, as per UGCRegulations

	the evaluation process and announcements of the award of M.Phil/Ph.D degree the University shall submit a soft copy of the M.Phil/Ph.D thesis to the UGC within a period of thirty days. For hosting the same in INFLIBNET accessible to all Institutions/Universities. (2) Along with the degree the University shall issue a provisional Certificate certifying to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions to UGC Regulations 2009. (3) In case of any ambiguity the Vice-Chancellor will take a decision in the light of UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M Phil / Ph D degree) Regulations 2009 which shall be final.	2009

संलग्नक - 06

दिनाँक 29/10/2014 को मा0 कुलपति जी द्वारा UPRTOU Community College Scheme हेतु कार्य योजना निर्धारण सम्बन्धित गठित समिति की निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा के कक्ष में सम्पन्न प्रथम बैठक का कार्य वृत्त :–

1. बैठक का प्रारम्भ संयोजक महोदय ने सभी सदस्यो के स्वागत के साथ मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत यू0पी0आर0टी0यू0 में " **सामुदायिक विद्यालय योजना** " के महत्व एवं उपयोग को रेखांकित करते हुए, विश्वविद्यालय में इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाये इस विमर्श के साथ प्रारम्भ की।

2. बैठक के दौरान **क्षेत्रीय समन्वयक इलाहाबाद** डॉ0 एच0 सी0 जायसवाल की उपलब्धता को देखते हुए समिति के सदस्यो ने संयोजक महोदय से उन्हें भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित करने का अनुरोध किया, जिसे संयोजक महोदय ने स्वीकार कर लिया।

3. समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि विश्वविद्यालय में इस योजना का नामकरण " यू0पी0आर0टी0यू0 " कौशल विकास सामुदायिक विद्यालय योजना (UPRTOU Skill Development Community School) के नाम से किया जाये।

4. समिति ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में यू0पी0आर0टी0यू0 कौशल विकास सामुदायिक विद्यालय योजना प्रकोष्ठ (UPRTOU Skill Development Community School Cell) तथा इसके लिये एक समन्वयक/विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

5. समिति ने सर्वसम्मति से यह भी प्रस्तावित किया कि यू0 जी0 सी0 तथा राष्ट्रीय स्तर के मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा अपनाये गये सामुदायिक विद्यालय योजना के माड्ल को आधार बनाते हुए आवश्यक, प्रभावी एवं उपयोगी प्रावधानो के साथ उत्तर प्रदेश के एक मात्र मुक्त विश्वविद्यालय हेतु UPRTOU Skill Development Community College Scheme के माड्ल की संरचना की जाये।

6. उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के सूत्र वाक्य " **हम पहुँचे वहाँ पहुँचा न कोई जहाँ** " को वास्तविकता प्रदान करने के क्रम में ऐसी संस्थाओं की पहचान की जाये, जिनके माध्यम से "UPRTOU Skill Development Community College Scheme" को सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया जा सके।

7. "यू0पी0आर0टी0यू0 कौशल विकास सामुदायिक विद्यालय योजना" के अन्तर्गत की जा रही सभी कार्यवाहियों को विश्वविद्यालय की वेब साईट पर यथारूपेण समय–समय पर UPRTOU Skill Development Community College Scheme नामक पोर्टल बनाकर अपलोड कराया जाये।

8. समिति ने इस 'योजना' के प्रभावी क्रियान्यवयन हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की, जिन पर क्रमशः विस्तृत कार्य योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है :–

   (क) जिन संस्थाओं में इस योजना का क्रियान्यवयन किया जाना है, उनकी पहचान, नामकरण तथा मान्यता।

   (ख) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले Target Group तथा विभिन्न कार्यक्रमों हेतु प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हतायें।

   (ग) इस योजना के तहत चलने वाले कार्यक्रम, उनका पाठ्यक्रम निर्धारण, उसकी संरचना, तथा संचालन।

   (घ) विभिन्न कार्यक्रमों का शुल्क निर्धारण।

   (च) उ0प्र0रा0ट0मु0वि0 कौशल विकास सामुदायिक विद्यालयों की संरचना कैसी हो तथा उसका समन्वयन विश्वविद्यालय से कैसे किया जायगा।

(छ) इस योजना के तहत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की परीक्षा, परिणाम तथा प्रमाणन।

(ज) इस योजना को क्रियान्वित करने वाली संस्थाओं को वित्तीय मदद, संचालन सम्बन्धी भुगतान आदि।

(झ) इस योजना को क्रियान्वित करने वाली संस्थाओं के संवर्द्धन सम्बन्धी (Promotion Related - Advertising + Public Relation) प्रक्रियाएँ।

(ट) योजना के क्रियान्यवयन सम्बन्धी विभिन्न प्रारूप।

(ठ) उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रभावी नियंत्रण तंत्र।

9. बिन्दु 08 के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार होते ही एक "कार्यशाला" (Work-Shop) का आयोजन किया जाये तथा इसके परिणामों तथा सुझावो को भी भावी कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए UPRTOU Skill Development Community College Scheme के विभिन्न नियमों तथा कार्य योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाये।
10. इस योजना के तहत विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में भी " कौशल विकास सामुदायिक विद्यालय " की एक इकाई प्रारम्भ की जाये।

अन्त में सभी सदस्यों ने द्वितीय बैठक बुलाये जाने हेतु संयोजक महोदय को अधिकृत करते हुए, धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की।

सदस्य
डॉ० टी० एन० दुबे
पुस्तकालयाध्यक्ष / अध्ययन केन्द्र प्रभारी
यू०पी०आर०टी०ओ०यू०–इलाहाबाद

संयोजक
डॉ० ओम जी गुप्ता
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन
वि०शा०यू०पी०आर०टी०ओ०यू०–इलाहाबाद

विशेष आमंत्रित सदस्य
डॉ० रूचि मित्तल
निदेशक, रूचीज इन्स्टीट्यूट ऑफ
क्रिएटिव आर्टस, इलाहाबाद

29.X.14

सदस्य
डॉ० मुकेश कुमार
सहायक आचार्य / OSD परीक्षा
शिक्षावि०शा०यू०पी०आर०टी०ओ०यू०–इलाहाबाद

सदस्य
डॉ० गिरीश कुमार द्विवेदी
सहायक आचार्य / प्रभारी प्रवेश
शिक्षावि०शा०यू०पी०आर०टी०ओ०यू०–इला०

विशेष आमंत्रित सदस्य
डॉ० एच० सी० जायसवाल
क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयक इलाहाबाद
यू०पी०आर०टी०ओ०यू०–इला०

सदस्य / सचिव
डॉ० देवेश रंजन त्रिपाठी
सहायक आचार्य / OSD कुलपति सचिवालय
प्रबन्धन अध्ययन वि०शा०यू०पी०आर०टी०ओ०यू०इला०

87